

Balmer Lawrie & Co. Ltd.
(A Government of India Enterprise)

SBU : Greases & Lubricants
P-43, Hide Road Extension,
Kolkata – 700 088
India

NOTICE INVITING TENDER

The tendered item(s) is/are not available in GeM. Balmer Lawrie & Co. Ltd. have no objection in providing detailed information for making available the said item(s) on GeM.”

- | | | | |
|-----|-----------------------|---|--|
| 1 | Type of Tender | : | Public e- Tender |
| 2 | Tender No. | : | GLK/TE 20/ 222 |
| 3. | Tender date | : | 29.12.2020 |
| 4. | Tender Due Date | : | 20.01.2021, 15.00 hrs. IST |
| 5. | Items | : | Additives for different grades of
Transmission Oil and for OIB oil (UTTO) |
| 6. | Quantity variation | : | As detailed below in the tender |
| 7. | Validity of Offer | : | 60 days from tender opening date |
| 8. | Earnest Money Deposit | : | As per detailed terms of tender. |
| 9. | Security Deposit | : | As per detailed terms of tender. |
| 10. | Period of Contract | : | Nine <u>(9) months</u> from the date of
Contract or till execution of the full quantity
Whichever is earlier. Dispatch can be
effected within the contract period as per our
call up (s). Contracts can be extended for
upto another period of max nine(9) months
on mutual consent. |
| 11. | Tender document | : | Attached |

TENDER DOCUMENT

Balmer Lawrie & Co. Ltd. (BL), a Govt. of India Enterprise, under the Ministry of Petroleum and Natural Gas, invites quotations from manufacturers / potential bidders engaged in the business of supply of **following Additives** as per Technical Specifications mentioned & terms and conditions as detailed below. Only domestic bidders are eligible to quote in this tender.

1.0 Product Specifications :

(a) Additive for Transmission Oil Type A, Suffix A (General Motors TASA):

[B]	Type A, Suffix A	GENERAL MOTORS (TASA). VI of blended lubricant should be 150 min in IOCL/BPCL GR II base oil. Suggest suitable VII if required to meet VI specn along with basic additive.
-----	------------------	--

(b) Additive for Transmission Oil GM Specification Dexron III:

Dexron III	GM Specification Dexron III G/ Dexron III H
------------	---

(c) Additive for Automatic Transmission Oil C 4 Type (Allison C 4):

Automatic Transmission Oil	
C-4 Type	Allison C-4 TES 439 (earlier version TES 289)

(d) Additive for Transmission Oil Caterpillar TO4 Transmission Fluid:

Caterpillar TO 4 Transmission Fluid	CAT TO4/ALLISON C4/KOMATSU 07.868.1/SPERRY VICKERS EATON I-280-S / SPERRY VICKERS EATON M 2950 S
-------------------------------------	--

(e) Additive for OIB Oil for Tractor – UTTO:

Tractor OEM	Transmission Oil performance	Hydraulic performance	Gear Oil performance	Viscosity grade
John Deere J 20 C	Allison C4	Sperry Vickers / Eaton I 280S	GL 4	SAE 30

No deviation against the tender technical specifications shall be accepted. In case of any deviation, the offer(s) will be summarily rejected without contacting the bidder(s) or assigning any reason whatsoever.

2.0 Packing

Material to be supplied in barrels with good condition.
Following details are also to be marked on the barrel :

- a) Product Name
- b) Batch No & date
- c) Any other details as specified in the contract.

3.0 Quantity of Additive required (+/- 15% tolerance on qty) :

Sl.No.	Additive	Kolkata (Qty in Kg)	Silvassa (Qty in Kg)
1	Additive for Transmission Oil Type A, Suffix A (General Motors TASA)	1000	8000
2	Additive for Transmission Oil GM Specification Dexron III	600	3000
3	Additive for Automatic Transmission Oil C 4 Type (Allison C 4)	8000	4000
4	Additive for Transmission Oil Catterpillar TO4 Transmission Fluid	5000	1000
5	Additive for OIB Oil for Tractor – UTTO	Nil	12000

4.0 Supply :

Each lot/batch should be accompanied by the manufacturer's test certificate and approval of quality report. Bidders are requested to provide Product data sheet along with their offer that their product would meet all technical specifications mentioned elsewhere in the tender document.

5.0 Mode of delivery : The offer preferably on FOR destination basis.

6.0 Price

Rate(s) to be quoted on FOR delivery to BL plant (Kolkata & Silvassa)

All taxes and duties like GST Freight etc. are to be clearly mentioned in the offer. Price should be valid for delivery up to entire contractual period. Treat level of Base & booster additives (if applicable) clearly to be mentioned.

After placement of contract, the price of additives shall be firm and no request for increase in price will be considered by BL on any ground.

7.0 **Payment Terms**

Within 30 days from the date of receipt of materials at BL's plant.

8.0 **Delivery Schedule**

For 1st supply, material should reach our plants within six weeks from the date of call up placed. However, for subsequent deliveries below mentioned schedule should be maintained by the successful vendor/s.

Kolkata : Within 21 Days from the date of Call-ups

Silvassa : Within 15 Days from the date of Call-ups

9.0 Selection Criteria :

- (i) The Contract/s shall be placed to the grade wise, location wise L1 bidder/s only. The L1 rate will be arrived based on net additive treat cost after considering input tax credit & Base Oil credit. BL's decision in this regard will be final and binding to the supplier.
- (ii) **PURCHASE PREFERENCE/OTHER GOVT GUIDELINES:**
BL reserves the right to grant Purchase preference to Micro and Small Enterprises (MSEs) / Class I Suppliers under MII Policy. Please refer separate section on Conditions for MSE's & Make In India Purchase Preference.

10.0 **Risk Purchase**

Without prejudice to other provisions in the tender, in the event of the supplier failing to supply within the stipulated lead time as per our call up mentioned against sl. No. 8.0 above, BL shall have the option to procure the product from alternate sources, at the risk and cost of the supplier without further intimation.

In case of rejection, if any, dispatch of replacement material to be made within one week of intimation failing which BL shall have right to procure the product from alternate sources at the risk and cost of the supplier without further intimation.

11.0 **Placement of Contract**

BL reserves the right to accept any tender in whole or in part or reject any or all offers without assigning any reason. The decision in regard to acceptance and/or rejection of any/ all offers in part/full shall be at the sole discretion of BL and the decision in this regard shall be binding on the bidders.

12.0 **Guarantee**

On receipt and testing of the product [within 10 days of arrival in the plant], if it is found that it does not meet the contractual specifications, the supplier shall replace the product free of cost and shall also reimburse the buyer any costs that the buyer might have incurred on the off-spec material.

13.0 **Arbitration**

Dispute Resolution, Governing Law and Jurisdiction

This Agreement, and any dispute or claim (including non-contractual disputes or claims) arising out of or in connection with it or its subject matter, shall be governed by and construed in accordance with the laws of India. All disputes, differences, and questions of any nature including interpretation of this Agreement or arising out of or in connection with this Agreement or as to the rights, duties, or liabilities under it of the Parties shall be referred to **Arbitration**. The procedure of the **Arbitration** shall be governed under the **Arbitration and Conciliation Act, 1996** (as amended) and the rules thereunder as may be in force from time to time. The **Arbitration** proceedings shall be conducted in English language. The Seat of **Arbitration** shall be at Kolkata. The fees of the arbitrator will be divided equally. The Sole Arbitrator shall be appointed from the panel of arbitrators which shall be provided by Balmer Lawrie & Co.Ltd. to (the other party to the Agreement) and he/she shall assign reasons to the award. Governing Law and Jurisdiction: The construction validity and performance of this Agreement shall be governed in all respects by the laws of the Republic of India. In relation to any legal action or proceedings to enforce this Agreement or any part hereof or any agreement pursuant thereto ("proceedings") each of the parties, Subject to the above clause, Parties irrevocably submits to the exclusive jurisdiction of the Courts at Kolkata only and waives any objection to proceedings in such Courts on the grounds of venue or on the grounds that the proceedings have been brought in an inconvenient forum. Government of India shall not be made party to any such dispute.

The parties hereby waive their right to any form of recourse against an award to any court or other competent authority, insofar as such waiver can validly be made under the applicable law.

14.0 **Compliance with Regulations**

Bidder(s) will warrant that all goods and services covered by this agreement/contract shall have been produced, sold, supplied, dispatched, delivered and furnished in strict compliance with all applicable laws, regulations, labour agreements, working conditions and technical codes and requirements as applicable from time to time. The supplier shall execute and deliver such documents as may be required to effect or to evidence such compliance.

All laws and regulations required to be incorporated in this charter are hereby deemed to be incorporated by these references. BL and their authorized representatives disown any responsibility for any irregularity, contravention or infringement of any statutory regulations in the manufacture and / or supply of goods /services covered by this agreement/contract.

The vendor should compulsorily follow all the provisions of GST Law and in the event of any default of complying with any of the provisions of the GST

Law, Balmer Lawrie would exercise the right for non-payment / withholding payment / black listing the vendor."

15.0 **Force Majeure**

Any delay in or failure of the performance of either party hereto shall not constitute default hereunder or give rise to any claims for damage, if any, to the extent such delays, failure of performance is caused by occurrences such as Acts of God or an enemy, decrees of any government or governmental authority, acts of war, rebellion, sabotage or fires, floods, explosions, riots, or strikes/ Pandemic (Epidemic). The Vendor shall keep records of the circumstances referred to above and bring these to the notice of the concerned officer of the buyer in writing within 7 days on such occurrences. The amount of time, if any, lost on any of these counts shall not be counted for the contract period. The decision of the buyer arrived at after consultation with the vendor, shall be final and binding. Such period of time shall be extended by the buyer to enable the Vendor to deliver the items within such extended period of time.

As soon as the cause of Force Majeure been removed, the party whose liability to perform its obligation has been affected shall notify the other of such cessation and inform the other party the actual delay incurred in such affected activities. Any such event, whenever it occurs, provided that it prevents, affects or delays the party in performing contractual obligation, shall justify the claim of Force Majeure.

16.0 **BID SECURITY DECLARATION:**

Participating bidders need to submit bid security declaration on bidder's letter head duly signed and stamped by authorised signatory of the bidder in lieu of EMD.

The bidder in the said declaration should declare that the bidder shall not withdraw or modify their bid after tender due date and during the bid validity period etc. The bidder should also declare that if they fail to abide by the declaration, they agree to accept the penal action taken against them as specified in the tender.

In case any bidder withdraw or modify the bid after tender due date and during the period of bid validity etc., the bidder may be liable to be suspended for a period of Nine Months. In case, BL request any modification of bid by the bidder and the bidder accepts it, then the mentioned penal action will not be applicable.

17.0 **Security Deposit (SD)**

After receipt of Contract / Letter of Intent (LOI), the Supplier(s) must submit interest free Security deposit within 30 days from the date of receipt of LOI/PO as applicable in the form of Pay Order / DD drawn on any schedule bank in India in favour of "BALMER LAWRIE & CO. LTD." and payable at Kolkata (Calcutta), India @ 2% of the order value (basic order value without taxes and duties). This may be given in the form of Bank Guarantee from any Nationalized / Scheduled bank in India of equivalent amount valid till end of the contract.

18.0 Provisions for Micro , Small and Medium Enterprises (MSME) :
Following benefits would be extended to qualifying MSE vendors as per Public Procurement policy for MSEs subject to meeting the qualification criteria.

- a. Qualifying Registered MSE vendors shall be exempted from need to furnish EMD, subject to submission of their registration details and meeting the qualification criteria.
- b. Preference for Price Quotation in tenders : Qualifying Micro and Small Enterprises quoting price within price band of L1+15%, will qualify to supply a portion of requirement by bringing down price to L1 price in a situation where L1 price is from someone other than a Micro and Small Enterprises. Such Micro and Small Enterprises shall be allowed to supply 25 per cent of total tendered quantity for the particular grade(s)/item(s) at the respective plants subject to operational viability as considered appropriate by tendering authority. It may be further noted that if more than one such duly qualified MSE bidder matches non-MSE L1 price, 25% of the tender quantity will be equally split between the L1 matching MSEs. If more than one MSE bidder has quoted in afore-said price band(L1+15%), number of such bidders will be intimated by tenderer to MSE bidders when seeking their acceptance to match L1 bid."

Qualification Criterion for MSE's for availing the above benefits :

- a. MSE vendor must confirm that UAM No has been uploaded on CPPP website as required by Ministry's circular no F:No21(17) / 2016 dated 06.04.18 for qualifying to be considered as MSE vendor under this tender. Qualifying and Registered MSE vendors shall be exempted from need to furnish EMD, subject to submission of their registration details. Declaration of Udyog Aadhar Memorandum [UAM Number] number on Central Public Procurement Portal [CPPP] is mandatory. **It is also required for the MSE vendors to submit a certificate (certified by a practicing Chartered Accountant) for investment in Plant & Machinery or equipment by them. It is further required to submit audited balance sheet and Profit & Loss account for their turn over for the last completed Financial Year Certified by a Practicing Chartered Accountant or in the absence of the audited balance sheet and Profit & Loss Account, the turnover for the last completed Financial Year should be certified by a practicing Chartered Accountant.**
- b. **The above mentioned provisions are meant for procurement of only goods produced and services rendered by MSEs and not for any trading activities done by them.** A self-certification to be provided by the bidder that the tendered item is manufactured / serviced by them. Balmer Lawrie & Co Ltd reserves the right to verify the same.
- c. All of the above details are mandatory to qualify for availing the benefits as per Public Procurement Policy for MSE.

Bidder should read **Government Notification dated 1st, June'2020 in respect of ""New Definition of MSE"" as under** before furnishing their MSE status to qualify for availing the benefits as per Public Procurement Policy for MSE.

**MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES**

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2020

S.O. 1702(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (9) of section 7 of the 'Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Small Scale Industries, dated the 29th September, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii), vide S.O. 1642(E), dated the 30th September 2006 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, hereby notifies the following criteria for classification of micro, small and medium enterprises, namely:—

(i) a micro enterprise, where the investment in Plant and Machinery or Equipment does not exceed one crore rupees and turnover does not exceed five crore rupees;

(ii) a small enterprise, where the investment in Plant and Machinery or Equipment does not exceed ten crore rupees and turnover does not exceed fifty crore rupees;

This notification shall come into effect from 01.07.2020

18.1 Preference to Make In India Policy – Local content in the tendered items (Order No P-45021/2/2017-PP (BE-II) dated 04.06.2020 of Department for promotion Of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Govt Of India.

Class I Local Supplier” will be given purchase preference as per preference to Make In India Order of Govt. Of India (Order No. P-45021/2/2017-PP(BE-II) dated 04.06.2020 of DPIT). However, this preference would be applicable only for bidders who are technically qualified. This preference will be applicable after netting off the quantity allowed to qualified MSE bidder (if any), as per the MSE clause of the Tender.

Further the above referred Order defines 'Local Content, "Class -I local supplier" and "Class II local supplier" as under:

"Local Content" means the amount of value added in India which shall unless otherwise prescribed by the Nodal Ministry, be the total value of the item procured (excluding net domestic indirect taxes) minus the value of imported content in the item (including all custom duties) as a proportion of the total value, in percent.

Class – I local supplier – means a supplier or service provider, whose goods, services or works offered for procurement, has local content equal or more than 50%, as defined under this Order.

Class – II local supplier – means a supplier or service provider, whose goods, services or works offered for procurement, has local content more than 20% but less than 50 %, as defined under this Order.

Non-Local Supplier – means a supplier or service provider, whose goods, services or works offered for procurement, has local content less than 20% under this order.

In view of above guidelines, you are required to furnish information in the following prescribed format and to **provide a self declaration / certified on the prescribed format regarding the percentage of local content of the item (s).** Your attention is also drawn towards Para 9 (f) and (g) of the above referred Order of GOI, prescribing action in case of false declaration, as under.

Sl No	Item(s) Description	Percentage of local content in your product(s)
-------	---------------------	--

--	--	--

Verification of local content

1. False declarations will be in breach of the Code of Integrity under Rule 175(1)(i)(h) of the General Financial Rules for which a bidder or its successors can be debarred for up to two years as per Rule 151 (iii) of the General Financial Rules along with such other actions as may be permissible under law.

2. A supplier who has been debarred by any procuring entity for violations of this order shall not be eligible for preference under this Order for procurement by any other procuring entity for the duration of the debarment. The debarment for such other procuring entities shall take effect prospectively from the date on which it comes to the notice of other procurement entities, in the manner prescribed under paragraph (h) below.

19.0 Integrity Pact (IP)

Submission of Integrity pact agreement is a mandatory prerequisite for Bids to be eligible for further evaluation. The Integrity pact draft attached as Annexure I to be printed on the plain paper and signed and stamped by the authorized signatory of the bidder to be submitted along with the bid. This pact begins when both parties have legally signed it. It expires for the Contractor 10 months after the last payment under the contract, and for all other Bidders 6 months after the contract has been awarded

20. Bidder from a country which shares a land border with India.

Restriction under Rule 144 (xi) of the General Financial Rules (GFRs), 2017

- I. Any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority.
- II. "Bidder" (including the term 'tenderer', 'consultant' or 'service provider' in certain contexts) means any person or firm or company, including any member of a consortium or joint venture (that is an association of several persons, or firms or companies), every artificial juridical person not falling in any of the descriptions of bidders stated hereinbefore, including any agency branch or office controlled by such person, participating in a procurement process.
- III. "Bidder from a country which shares a land border with India" for the purpose of this Order means: -
 - a. An entity incorporated, established or registered in such a country; or
 - b. A subsidiary of an entity incorporated, established or registered in such a country; or
 - c. An entity substantially controlled through entities incorporated, established or registered in such a country; or
 - d. An entity whose beneficial owner is situated in such a country; or
 - e. An Indian (or other) agent of such an entity; or
 - f. A natural person who is a citizen of such a country; or
 - g. A consortium or joint venture where any member of the consortium or joint venture falls under any of the above

IV. The beneficial owner for the purpose of (iii) above will be as under:

1. In case of a company or Limited Liability Partnership, the beneficial owner is the natural person(s) who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has a controlling ownership interest or who exercises control through other means.
 Explanati
 on-
 - a. "Controlling ownership interest" means ownership of or entitlement to more than twenty-five per cent. of shares or capital or profits of the company,
 - b. "Control" shall include the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements;
2. In case of a partnership firm, the beneficial owner is the natural person(s) who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has ownership of entitlement to more than fifteen percent of capital or profits of the partnership;
3. In case of an unincorporated association or body of individuals, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has ownership of or entitlement to more than fifteen percent of the property or capital or profits of such association or body of individuals;
4. Where no natural person is identified under (1) or (2) or (3) above, the beneficial owner is the relevant natural person who holds the position of
 Senior managing
 official;
5. In case of a trust, the identification of beneficial owner(s) shall include identification of the author of the trust, the trustee, the beneficiaries with fifteen percent or more interest in the trust and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust through a chain of
 Control or ownership.
- V. An Agent is a person employed to do any act for another, or to represent another in dealings with third person.
- VI. (To be inserted in tenders for Works contracts, including Turnkey contracts} The successful bidder shall not be allowed to sub-contract works to any contractor from a country which shares a land border with India unless such contractor is registered with the Competent Authority.

A Certificate regarding the compliance of the above in the letter head of the bidder duly signed and stamped by the authorized representative of the bidder to be submitted along with the tender. If the certificate submitted by the bidder whose bid is accepted is found to be false, this would be a ground for immediate termination and further legal action in accordance with law.

" We have read the clause regarding restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India; we certify that (Name of firm/bidder) is not from such a country or, if from such a country, has been registered with the Competent Authority. We hereby certify that (Name of Firm/Bidder) fulfills all requirements in this regard and is eligible to be considered."

Where applicable, evidence of valid registration by the Competent Authority shall be attached.

21.0 In case of any discrepancies / difference between the English and Hindi version of the tender documents, the English version shall prevail and to be considered.

22.0 **Validity of offer**

Offer(s) should be valid for our acceptance up to 60 days from the due date or the extender due date, if any, of the tender.

23.0 **TENDER CANCELLATION**

Balmer Lawrie & Co Ltd (BL) may at its own discretion cancel the tender process at any time [whether before or after tender submission date] due to any unforeseen circumstances or due to any other reason. BL is not liable to provide any reason to the participants/ bidders in said tender for the same

24.0 **Submission of offer**

The bidders are required to submit their offer on-line. However the EMD if paid by Demand Draft/ Pay Order and other documents, if any must reach our office before due date and time of the tender.

The outer ENVELOPE should be marked "Tender for Additives of " and should be addressed to

Mr. Arnab Ghatak

Sr. Manager (SCM)

Balmer Lawrie & Co. Ltd.,

Greases & Lubricants Division,

P-43, Hide Road Extension,

Kolkata – 700 088, India

Phone No : (+) 91 33 2450 0116

Mobile : (+) 91 9007062135
E-mail : ghatak.a@balmerlawrie.com

Each page of the tender document shall be stamped and signed by the authorized representative of the bidder and must be submitted along with their offer in acceptance of tender terms and conditions. Deviation, if any, must be recorded in Deviation Sheet of the Tender.

Offers received from related companies (definition of related companies as per Company Act of 1946 in India shall apply) shall be considered as one offer.

Offer(s) received after due date and time will not be considered for evaluation and the sealed envelope(s) will not be opened. BL will not take any responsibility for not reaching the offer within the due date and time.

Addenda / Corrigendum :

Any amendment / corrigendum, as and when required, will be uploaded only on the website of the company www.balmerlawrie.com and BL e-proc site, <https://balmerlawrie.eproc.in> where this tender is floated and interested vendors should regularly visit these websites for updating.

Thanking You

Yours Faithfully
for **Balmer Lawrie & Co. Limited**

(Arnab Ghatak)
Sr. Manager (SCM)

Annexure I

Integrity Pact

Balmer Lawrie & Co. Limited (BL) hereinafter referred to as "The Principal".

And

_____, hereinafter referred to as "The
Bidder/Contractor"

Preamble

The Principal intends to award, under laid down organizational procedures,
contract/s _____ for

_____.
The Principal values full compliance with all relevant laws of the land, rules, regulations, economic use of resources and of fairness/transparency in its relations with its Bidder(s) and /or Contractor(s).

In order to achieve these goals, the Principal will appoint an Independent External Monitor (IEM), who will monitor the tender process and the execution of the contract for compliance with the principles mentioned above.

Section 1- Commitments of the Principal

1. The Principal commits itself to take all measures necessary to prevent corruption and to observe the following principles: -
 - a. No employee of the Principal, personally or through family members, will in connection with the tender for, or the execution of a contract, demand, take a promise for or accept, for self or third person, any material or immaterial benefit which the person is not legally entitled to.
 - b. The Principal will, during the tender process treat all Bidder(s) with equity and reason. The Principal will in particular, before and during the tender process, provide to all Bidder(s) the same information and will not provide to any Bidder(s) confidential/additional information through which the Bidder(s) could obtain an advantage in relation to the tender process or the contract execution.
 - c. The Principal will exclude from the process all known prejudiced persons.

2. If the Principal obtains information on the conduct of any of its employees which is a criminal offence under the IPC/PC Act, or if there be a substantive suspicion in this regard, the Principal will inform the Chief Vigilance Officer and in addition can initiate disciplinary actions.

Section2- Commitments of the Bidder(s)/ Contractor(s)

1. The Bidder(s)/Contractor(s) commit himself to take all measures necessary to prevent corruption. He commits himself to observe the following principles during his participation in the tender process and during the contract execution.
 - a. The Bidder(s) / Contractor(s) will not, directly or through any other persons or firm, offer, promise or give to any of the Principal's employees involved in the tender process or the execution of the contract or to any third person any material or other benefit which he/she is not legally entitled to, in order to obtain in exchange any advantage of any kind whatsoever during the tender process or during the execution of the contract.
 - b. The Bidder(s)/Contractor(s) will not enter with other Bidders into any undisclosed agreement or understanding, whether formal or informal. This applies in particular to prices, specifications, certifications, subsidiary contracts, submission or non-submission of bids or any other actions to restrict competitiveness or to introduce cartelization in the bidding process.
 - c. The Bidder(s)/Contractor(s) will not commit any offence under the relevant IPC/PC Act; further the Bidder(s) /Contractors will not use improperly, for purposes of competition or personal gain, or pass on to others, any information or document provided by the Principal as part of the business relationship, regarding plans, technical proposals and business details, including information contained or transmitted electronically.
 - d. The Bidder(s)/Contractor(s) of foreign origin shall disclose the name and address of the Agents/representatives in India, if any. Similarly, the Bidder(s)/Contractor(s) of Indian Nationality shall furnish the name and address of the foreign principals, if any. Further details as mentioned in the "Guidelines on Indian Agents of Foreign Suppliers" shall be disclosed by the Bidder(s)/Contractor(s). Further, as mentioned in the Guidelines all the payments made to the Indian agent/representative have to be in Indian Rupees only.
Copy of the "Guidelines on Indian Agents of Foreign

Suppliers' as annexed and marked as Annexure - A

- e. The Bidder(s)/Contractor(s) will, when presenting his bid, disclose any and all payments he has made, is committed to or intends to make to agents, brokers or any other intermediaries in connection with the award of the contract.
2. The Bidder(s)/Contractor(s) will not instigate third persons to commit offences outlined above or be an accessory to such offences.

Section 3: Disqualification from tender process and exclusion from future contracts

If the Bidder(s)/Contractor(s), before award or during execution has committed a transgression through a violation of Section 2, above or in any other form such as to put his reliability or credibility in question, the Principal is entitled to disqualify the Bidder(s) /Contractor(s) from the tender process or act as per the procedure mentioned in the "Balmer Lawrie Policy on Blacklisting". **Copy of the "Balmer Lawrie Policy on Blacklisting" is annexed and marked as Annexure - B.**

Section 4: Compensation for Damages

- a) If the Principal has disqualified the Bidder(s) from the tender process prior to the award according to Section 3, the Principal is entitled to demand and recover the damages equivalent to Earnest Money Deposit/Bid Security.
- b) If the Principal has terminated the contract according to Section 3, or if the Principal is entitled to terminate the contract according to Section 3, the Principal shall be entitled to demand and recover from the Contractor liquidated damages of the Contract value or the amount equivalent to Performance Bank Guarantee.

Section 5: Previous Transgression

- a. The Bidder declares that no previous transgressions occurred in
the last three years with any other company in any country conforming to the anti-corruption approach or with any other public sector enterprise in India that could justify his exclusion from the tender process.
- b. If the bidder makes incorrect statement on this subject, he can be disqualified from the tender process or action can be taken as per the procedure mentioned in "Balmer Lawrie Policy on Blacklisting".

Section 6: Equal treatment of all Bidders/Contractors/Subcontractors.

- a. The Bidder(s)/Contractor(s) undertake(s) to demand from all subcontractors a commitment in conformity with this Integrity Pact, and to submit it to the Principal before contract signing.
- b. The Principal will enter into agreements with identical conditions as this one with all bidders, contractors and subcontractors.
- c. The Principal will disqualify from the tender process all bidders who do not sign this Pact or violate its provisions.

Section 7: Criminal charges against violation Bidder(s)/contractor(s)/Subcontractor(s).

If the Principal obtains knowledge of conduct of a Bidder, Contractor or Subcontractor, or of an employee or a representative or an associate of a Bidder, Contractor or Subcontractor which constitutes corruption, or if the Principal has substantive suspicion in this regard, the Principal will inform the same to the Chief Vigilance Officer.

Section 8: Independent External Monitor/Monitors

- (a) The Principal appoints competent and credible Independent External Monitor for this Pact. The task of the Monitor is to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this agreement.
- (b) The Monitor is not subject to instructions by the representatives of the parties and performs his functions neutrally and independently. He reports to the Chairman & Managing Director, BL.
- (c) The Bidder(s)/Contractor(s) accepts that the Monitor has the right to access without restriction to all project documentation of the Principal including that provided by the Contractor. The Contractor will also grant the Monitor, upon his request and demonstration of a valid interest, unrestricted and unconditional access to his project documentation. The same is applicable to Subcontractors. The Monitor is under contractual obligation to treat the information and documents of the Bidder(s)/Contractor(s)/Subcontractor(s) with confidentiality.
- (d) The Principal will provide to the Monitor sufficient information about all meetings among the parties related to the Project provided such meetings could have an impact on the contractual relations between the Principal and the Contractor. The parties offer to the Monitor the option to participate in such meetings.

- (e) As soon as the Monitor notices, or believes to notice, a violation of this agreement, he will so inform the Management of the Principal and request the Management to discontinue or take corrective action, or to take other relevant action. The monitor can in this regard submit non-binding recommendations. Beyond this, the Monitor has no right to demand from the parties that they act in a specific manner, refrain from action or tolerate action.
- (f) The Monitor will submit a written report to the CMD, BL within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the Principal and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations.
- (g) Monitor shall be entitled to compensation on the same terms as being extended to / provided to Independent Directors on the BL Board.
- (h) If the Monitor has reported to the CMD, BL, a substantiated suspicion of an offence under relevant IPC/PC Act, and the CMD, BL has not, within the reasonable time taken visible action to proceed against such offence or reported it to the Chief Vigilance Officer, the Monitor may also transmit this information directly to the Central Vigilance Commissioner.
- (i) The word 'Monitor' would include both singular and plural.

Section 9 - Pact

Duration

This pact begins when both parties have legally signed it. It expires for the Contractor 10 months after the last payment under the contract, and for all other Bidders 6 months after the contract has been awarded.

If any claim is made / lodged during this time, the same shall be binding and continue to be valid despite the lapse of this pact as specified above, unless it is discharged / determined by CMD, BL.

Section 10 - Other provisions

- a) This agreement is subject to Indian Law. Place of performance and jurisdiction is the Registered Office of the Principal, i.e. Kolkata.
- b) Changes and supplements as well as termination notices need to be made in writing. Side agreements have not been made.
- c) If the Contractor is a partnership or a consortium, this agreement must be signed by all partners or consortium members.
- d) Should one or several provisions of this agreement turn out to be invalid, the remainder of this agreement remains valid. In this case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

(For & on behalf of the Principal)

(Office Seal)

(For & On behalf of
Bidder/Contractor)

(Office Seal)

Place -----

Date -----

Witness 1:
(Name & Address)

Witness 2:
(Name & Address)

Annexure-A**GUIDELINES FOR INDIAN AGENTS OF FOREIGN SUPPLIERS**

- 1.0 There shall be compulsory registration of agents for all global (Open) Tender and Limited Tender. An agent who is not registered with BL shall apply for registration in the prescribed Registration Form.
- 1.1 Registered agents will file an authenticated photocopy duly attested by a Notary Public/ Original certificate of the Principal confirming the agency agreement and giving the status being enjoyed by the agent and the commission/ remuneration/ retainer-ship being paid by the principal to the agent before the placement of order by BL.
- 1.2 Wherever the Indian representatives have communicated on behalf of their principals and the foreign parties have stated that they are not paying any commission to the Indian agents, and the Indian representative is working on the basis of salary or as retainer, a written declaration to this effect should be submitted by the party (i.e. Principal) before finalizing the order.

2.0 DISCLOSURE OF PARTICULARS OF AGENTS/ REPRESENTATIVES IN INDIA, IF ANY.

- 2.1 Tenderers of Foreign nationality shall furnish the following details in their offer:
 - 2.1.1 The name and address of the agents/representatives in India, if any, and the extent of authorization and authority given to commit the Principals. In case the agent/ representative be a foreign Company, it shall be confirmed whether it is real substantial Company and details of the same shall be furnished.
 - 2.1.2 The amount of commission/ remuneration included in the quoted price(s) for such agents/representatives in India.
 - 2.1.3 Confirmation of the Tenderer that the commission/ remuneration if any, payable to his agents/ representatives in India, may be paid by BL in Indian Rupees only.
- 2.2 Tenderers of Indian Nationality shall furnish the following details in their offers:
 - 2.2.1 The name and address of the foreign Principals, if any, indicating their nationality as well as their status, i.e, whether manufacturer or agents of manufacturer holding the Letter of Authority of the Principal specifically authorizing the agent to make an offer in India in response to tender either directly or through the agents/representatives.
 - 2.2.2 The amount of commission /remuneration included in the price(s) quoted by the tenderer for himself.
 - 2.2.3 Confirmation of the foreign principals of the Tenderer that the commission/ remuneration, if any, reserved for the Tenderer in the quoted price(s), may be paid by BL in India in equivalent Indian Rupees on satisfactory completion of the Project or supplies of Stores and Spares in case of operation items.

- 2.3 In either case, in the event of contract materializing, the terms of payment will provide for payment of the commission/ remuneration, if any, payable to the agents /representatives in India in Indian Rupees on expiry of 90 days after the discharge of the obligations under the contract.
- 2.4 Failure to furnish correct and detailed information as called for in paragraph 2.0 above will render the tender concerned liable to rejection or in the event of a contract materializing, the same liable to termination by BL. Besides this, there would be a penalty of banning business dealings with BL or damage or payment of a named sum.

* * * * *

CONDITIONS FOR ONLINE BID SUBMISSION

1.0 Procedure for Bid Submission

The bidder shall submit his response through bid submission to the tender on e-Procurement platform at <https://balmerlawrie.eproc.in> by following the procedure given below. The bidder would be required to register on the e-procurement market place at <https://balmerlawrie.eproc.in> and submit their bids online. No offline bids shall be entertained by the Tender Inviting Authority. The bidders shall submit their eligibility and qualification documents, Technical bid, Financial bid etc., in the standard formats prescribed in the Tender documents, displayed in e-procurement web site. The bidders shall upload the scanned copies of all the relevant certificates, documents etc., if required, in support of their eligibility criteria/technical bids in the e-procurement web site. However, bulky documents need not be scanned and uploaded but physical copy of the same should be sent to the Tender Inviting Authority office before the tender opening date. The bidder shall sign on the statements, documents, certificates, uploaded by him, owning responsibility for their correctness/authenticity.

2.0 Registration with e-Procurement platform

For registration and online bid submission bidders may contact HELP DESK of M/s C1 India Pvt., Ltd., or they can register themselves online by logging in to the website <https://balmerlawrie.eproc.in>

3.0 Digital Certificate authentication

The bidder shall authenticate the bid with his Digital Certificate for submitting the bid electronically on e-procurement platform and the bids not authenticated by digital certificate of the bidder will not be accepted on the e-procurement platform. All the bidders who do not have Digital Certificates need to obtain Digital Certificate. They may contact Help Desk of C1 India Pvt Ltd.

M/s C1 India Pvt Ltd.
C104, Sector 2, Noida - 201301

Contact person :

Mr. Tuhin Ghosh, Ph- 08981165071 : e-mail: tuhin.ghosh@c1india.com

Mr. Tirtha Das, e-mail id : tirtha.das@c1india.com , Contact No:

+91- 9163254290

4.0 Submission of Hard copies

Before submission of bid online, the bidders are requested to submit the technical literature indicating treat level and EMD through courier / e-mail as applicable so as to reach us before opening of tender on-line.

5.0 Corrigendum to tender

The bidder has to keep track of any changes by viewing the addendum / Corrigendum's issued by the Tender Inviting Authority on time-to-time basis in the e-Procurement platform. The Company calling for tenders shall not be responsible for any claims/problems arising out of this.

6.0 Bid Submission Acknowledgement

The user should complete all the processes and steps required for bid submission. The successful bid submission can be ascertained once acknowledgement is given by the system through bid submission number after completing all the processes and steps. Tender Inviting Authority and C1 India Pvt. Ltd. will not be responsible for incomplete bid submission by users. Users may also note that the incomplete bids will not be saved by the system and are not available for the Tender Inviting Authority for processing.

Before uploading scanned documents, the bidders shall sign on all the statements, documents, certificates uploaded by him, owning responsibility for their correctness / authenticity

बामर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड
Balmer Lawrie & Co. Ltd.

(भारत सरकार का उपक्रम)

एस.बी.यू : ग्रीसेस एंड लुब्रिकेंट्स)
 पी-43, हाईड रोड, एक्सटेंशन,
 कोलकाता - 700 088
भारत

निविदा आमंत्रण सूचना

निवेदित मद (मदें) जीईएम पर उपलब्ध नहीं हैं। बामर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड को उक्त मद (मदें) जीईएम पर उपलब्ध करवाने के लिए विस्तृत सूचना उपलब्ध करवाने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

- | | | |
|-----|-------------------|--|
| 1 | निविदा का स्वरूप | : सार्वजनिक ई-निविदा |
| 2 | निविदा संख्या | : जीएलके/टीई 20/222 |
| 3. | निविदा तिथि | : 29.12.2020 |
| 4. | निविदा नियत तिथि | : 20.01.2021, 15.00 बजे, भारतीय मानक समय |
| 5. | मद | : ट्रांसमिशन ऑयल के विभिन्न ग्रेडों एवं ओआईबी ऑयल (यूटीटीओ) के लिए एडिटिव्स |
| 6. | मात्रा भिन्नता | : नीचे निविदा में दिए गए विवरण के अनुसार |
| 7. | प्रस्ताव की वैधता | : निविदा खुलने की तिथि से 60 दिन |
| 8. | पेशगी धन जमा | : निविदा की विस्तृत शर्तों के अनुसार |
| 9. | सुरक्षा जमा | : निविदा की विस्तृत शर्तों के अनुसार |
| 10. | निविदा की अवधि | : क्रयादेश की तिथि से नौ (9) माह अथवा पूरी मात्रा की आपूर्ति किए जाने तक, जो भी पहले हो। प्रेषण हमारे द्वारा कॉल-अप पर अनुबंध अवधि के दौरान किया जा जाना है। परस्पर सहमति से अनुबंध (अनुबंधों) को आगामी 9 (नौ) माह की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। |
| 11. | निविदा दस्तावेज | : संलग्न |

निविदा दस्तावेज

बामर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड (बीएल) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अन्तर्गत भारत सरकार का एक उद्यम है, इसके द्वारा नीचे उल्लिखित तकनीकी विशिष्टताओं एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के अनुसार **निम्नलिखित एडिटिव्स** की आपूर्ति का व्यवसाय करने वाले निर्माताओं / समर्थ निविदाकर्ताओं से निवेदित दरें आमंत्रित की गई हैं। इस निविदा के लिए केवल स्वदेशी निविदाकर्ता ही अपनी निवेदित दरें प्रस्तुत करने के पात्र हैं।

2.0 उत्पादन विशिष्टताएं:

(f) ट्रांसमिशन ऑयल टाइप ए, सफ़िक्स ए के लिए एडिटिव (जनरल मोटर टीएसएस):

[बी]	टाइप ए, सफ़िक्स ए	(जनरल मोटर टीएसएस) VI का ब्लेंडिड लुब्रिकेंट आईओसीएल / बीपीसीएल ग्रेड II बेस ऑयल का 150 एमआईएन होना चाहिए। बेसिक एडिटिव के साथ VI की विशिष्टताओं को पूरा करने के लिए यदि अपेक्षा हो तो यथोचित VII का सुझाव दें।
------	-------------------	---

(g) ट्रांसमिशन ऑयल जीएम विशिष्टता डेक्सरॉन III के लिए एडिटिव :

डेक्सरॉन III	जीएम विशिष्टता डेक्सरॉन III जी / डेक्सरॉन III एच
--------------	--

(h) ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑयल सी 4 टाइप (एल्लिसन सी 4) के लिए एडिटिव:

ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑयल	
सी 4 टाइप	एल्लिसन सी 4 टीईएस 439 (पूर्व स्वरूप टीईएस 289)

(i) ट्रांसमिशन ऑयल केटरपिलर टीओ4 ट्रांसमिशन फ्ल्यूड के लिए एडिटिव:

केटरपिलर टीओ4 ट्रांसमिशन फ्ल्यूड	सीएटी टीओ4/एल्लिसन सी4/ कोमाटसु 07.868.1/ स्पैरी विकर्स इटॉन एक 2950 एस
----------------------------------	---

(j) ट्रैक्टर के ओआईबी ऑयल के लिए एडिटिव - यूटीटीओ:

ट्रैक्टर ओईएम	ट्रांसमिशन ऑयल निष्पादन	हाइड्रोलिक निष्पादन	गियर ऑयल निष्पादन	विस्कोसिटी ग्रेड
जॉन डेरे जे 20सी	एल्लिसन सी 4	स्पैरी विकर्स / इटॉन आई 280 एस	जीएल 4	एसआई 30

हमारी निविदा की तकनीकी विशिष्टताओं के प्रति किसी प्रकार के व्यतिक्रम स्वीकार्य नहीं होंगे। किसी प्रकार के व्यतिक्रम के मामले में निविदाकर्ता (निविदाकर्ताओं) से किसी प्रकार का सम्पर्क किए बिना अथवा कोई कारण सूचित किए बिना प्रस्ताव को सिरे से रद्द कर दिया जाएगा।

2.0 पैकिंग

सामग्री की आपूर्ति अच्छी स्थिति में बैरल्स में की जानी है।

बैरल्स पर निम्नलिखित विवरण अंकित किया जाना भी अपेक्षित है:

- d) उत्पाद का नाम
- e) बैच नम्बर तथा तिथि
- f) अनुबंध में किए गए विनिर्देशन के अनुसार कोई अन्य विवरण

4.0 एडिटिव की अपेक्षित मात्रा (+/- 15% tolerance on qty) :

क्र.सं.	एडिटिव	कोलकाता (मात्रा कि.ग्रा. में)	सिल्वासा (मात्रा कि.ग्रा. में)
1	ट्रांसमिशन ऑयल टाइप ए, सफ़िफक्स ए के लिए एडिटिव (जनरल मोटर टीएसएस)	1000	8000
2	ट्रांसमिशन ऑयल जीएम विशिष्टता डेक्सरॉन III के लिए एडिटिव	600	3000
3	ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑयल सी 4 टाइप (एल्लिसन सी 4) के लिए एडिटिव	8000	4000

4	ट्रांसमिशन ऑयल केटरपिलर टीओ4 ट्रांसमिशन फ्ल्यूड के लिए एडिटिव	5000	1000
5	ट्रैक्टर के ओआईबी ऑयल के लिए एडिटिव - यूटीटीओ	शून्य	12000

4.0 आपूर्ति :

प्रत्येक लॉट/बैच के साथ निर्माता का परीक्षण प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता रिपोर्ट का अनुमोदन भेजा जाना चाहिए। निविदाकर्ताओं से यह अनुरोध है कि अपने प्रस्ताव के साथ निविदा दस्तावेज में दी गई तकनीकी विशिष्टताओं के अनुसार उनके उत्पादन की अनुरूपता के उल्लेख से युक्त उत्पादन डेटा शीट भेजें।

5.0 डिलीवरी का माध्यम: इस प्रस्ताव में एफओआर गंतव्य आधार को वरीयता प्राप्त है।

6.0 मूल्य

निवेदित दर (दरें) बामर लॉरी संयंत्र (कोलकाता एवं सिल्वासा) में एफओआर डिलीवरी के लिए प्रस्तुत की जानी हैं।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), मालभाड़ा इत्यादि जैसे सभी कर एवं शुल्कों का उल्लेख प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। प्रस्तुत दरें सम्पूर्ण अनुबंध अवधि के दौरान डिलीवरी के स्वीकार्य होनी चाहिए। बेस एवं बूस्टर एडिटिव्स के ट्रेड स्तर (यदि लागू हो) का उल्लेख स्पष्ट रूप में किया जाना चाहिए।

7.0 भुगतान शर्तें

बामर लॉरी के संयंत्र में सामग्री की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर

8.0 डिलीवरी अनुसूची

पहली आपूर्ति के लिए सामग्री हमारे संयंत्रों में हमारे द्वारा कॉल किए जाने की तिथि से छः सप्ताह के भीतर पहुंच जानी चाहिए। तथापि, सफल विक्रेता / विक्रेताओं को बाद की आपूर्तियां निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार करनी होंगी।

कोलकाता : कॉल अप किए जाने की तिथि से 21 दिनों के भीतर

सिल्वासा : कॉल अप किए जाने की तिथि से 15 दिनों के भीतर

9.0 चयन मापदंड:

- (i) अनुबंध केवल ग्रेड वार, स्थल वार एल1 निविदाकर्ता/निविदाकर्ताओं को जारी किए जाएंगे। एल1 दर का निर्धारण इनपुट कर क्रेडिट एवं बेस बॉयल क्रेडिट को विचार में लेकर निवल एडिटिव ट्रिट लागत के आधार पर किया जाएगा। इस संबंध में बामर लॉरी द्वारा लिये जाने वाले निर्णय आपूर्तिकर्ता के प्रति अंतिम एवं बाध्यकारी होंगे।
- (ii) खरीद वरीयता/अन्य सरकारी दिशानिर्देश:
बीएल के पास एमआईआई नीति के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई)/श्रेणी 1 आपूर्तिकर्ताओं को खरीद वरीयता देने का अधिकार सुरक्षित है। कृपया एमएसई और मेक इन इंडिया खरीद वरीयता के लिए शर्तों पर अलग सेक्शन देखें ।

10.0 जोखिम क्रय :

उपर्युक्त 8.0 में उल्लिखित हमारी कॉल अप के अनुसार विक्रेता द्वारा निर्धारित समय में आपूर्ति न कर पाने की स्थिति में इस निविदा के अन्य प्रावधानों के प्रति किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना बामर लॉरी को, विक्रेता को सूचित किए बिना तथा विक्रेता के जोखिम एवं लागत पर, उत्पाद की अधिप्राप्ति अन्य वैकल्पिक स्रोतों से करने का अधिकार एवं विकल्प प्राप्त होगा।

अस्वीकृति, यदि कोई हुई, के मामले में यदि प्रतिस्थापन सामग्री का प्रेषण सूचना दिए जाने के एक सप्ताह के भीतर नहीं किए जाने की स्थिति में बामर लॉरी को, आपूर्तिकर्ता को सूचित किए बिना तथा उसके जोखिम एवं लागत पर, उत्पाद का प्रापण वैकल्पिक स्रोतों से करने का अधिकार होगा।

11.0 अनुबंध जारी करना

बामर लॉरी को किसी निविदा को पूर्ण रूप में अथवा आंशिक रूप में स्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण सूचित किए किसी अथवा सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है। किसी/सभी प्रस्तावों को आंशिक/पूर्ण रूप में स्वीकार करने तथा/अथवा अस्वीकार करने का एकल विवेकाधिकार बामर लॉरी के पास होगा तथा इस संबंध में बामर लॉरी द्वारा लिया जाने वाला निर्णय सभी निविदाकर्ताओं के लिए बाध्यकारी होगा।

12.0 गारंटी

उत्पाद की प्राप्ति तथा परीक्षण किए जाने पर [संयंत्र में प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर] यदि इसे संविदागत विनिर्देशों के अनुसार नहीं पाया जाता है तो आपूर्तिकर्ता को कोई लागत लिए बिना उत्पाद बदलना होगा तथा उसे इसके लिए क्रेता को विनिर्देशों पर खरी न उतरी सामग्री पर किए गए व्यय की भरपाई भी करनी होगी।

13.0 विवाचन

विवाद समाधान, शासी कानून एवं न्यायाधिकार क्षेत्र

यह अनुबंध तथा इससे संबंधित अथवा इसके विषयक मामले से संबंधित किसी प्रकार का विवाद अथवा दावे (गैर-संविदागत विवादों अथवा दावों सहित) का नियंत्रण एवं आशय भारत के कानूनों के अंतर्गत होगा। इस अनुबंध की व्याख्या सहित इस अनुबंध से अथवा इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले अथवा इसके अंतर्गत पक्षकारों के अधिकार, कर्तव्य अथवा देयताओं से संबंधित सभी दावे, भिन्नताएं एवं प्रत्येक प्रकार के प्रश्न विवाचन के लिए संदर्भित किए जाएंगे। विवाचन की प्रक्रिया का संचलन अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा। विवाचन का न्याय क्षेत्र कोलकाता होगा। विवाचक के शुल्कों का सहभाजन समान किया जाएगा। एकल विवाचक की नियुक्ति बामर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड द्वारा विवाचकों के पैनल में से (अनुबंध के प्रति पक्षकार के लिए की जाएगी तथा वह न्याय निर्णय के औचित्य प्रस्तुत करेगा।

शासी कानून एवं न्यायाधिकार क्षेत्र : इस अनुबंध की संरचना की वैधता एवं निष्पादन का संचलन प्रत्येक स्वरूप में भारत गणराज्य के कानूनों के अंतर्गत किया जाएगा। इस अनुबंध अथवा इसके किसी भाग अथवा उसके अनुसरण ("प्रक्रियाओं") में किसी अनुबंध के लिए इस अनुबंध के प्रवर्तन से संबंधित किसी विधिक कार्रवाई अथवा प्रक्रियाओं के संबंध में प्रत्येक पक्षकार द्वारा, उपर्युक्त वाक्यांश की शर्त पर, इन्हें केवल कोलकाता में स्थित न्यायालयों के न्यायाधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करने की अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता की जाएगी तथा ऐसे न्यायालयों के स्थल के संबंध में अथवा इस आधार पर कि इसकी प्रक्रियाओं का संचलन असुविधा मंच पर होने से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की जाएगी। ऐसे किसी विवाद के लिए भारत सरकार को पक्षकार नहीं बनाया जाएगा।

पक्षकारों द्वारा एतद्वारा किसी न्यायालय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए न्यायनिर्णय का किसी भी स्वरूप में प्रतिकार करने के अपने अधिकार का एतद्वारा त्याग किया जाता है, ऐसे अधित्याग की मान्यता लागू कानून के अंतर्गत की जा सकती है।

14.0 विनियमों का अनुपालन

निविदाकर्ता (निविदाकर्ताओं) को इस अनुबंध / संविदा में शामिल सभी वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री, आपूर्ति, प्रेषण तथा डिलीवरी समय समय पर लागू सभी लागू कानूनों, विनियमों, श्रम अनुबंधों, कार्य स्थितियों तथा तकनीकी कोडों एवं अपेक्षाओं के अनुसार किए जाने का प्रमाणन करना होगा। इस आशय से अथवा इसके अनुपालन के प्रमाण के तौर पर आपूर्तिकर्ता से दस्तावेजों का निष्पादन तथा उनकी प्रस्तुति की अपेक्षा की जा सकेगी।

इस चार्टर में समावेश किए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक कानून तथा विनियम को यहां इन संदर्भों में शामिल किया गया माना जाएगा। बामर लॉरी तथा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि इस अनुबंध / संविदा में शामिल किसी निर्माण तथा / अथवा माल/सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित किन्हीं वैधानिक विनियमों की किसी अनियमितता, उल्लंघन अथवा अतिलंघन के प्रति किसी दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

विक्रेता को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के सभी प्रावधानों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करना होगा तथा वस्तु एवं सेवा कर कानून के किसी प्रावधान के अनुपालन के प्रति किसी प्रकार की चूक के मामले में बामर लॉरी द्वारा भुगतान न करने / भुगतान रोक लेने / विक्रेता को ब्लैक लिस्ट करने के अधिकार का उपयोग किया जा सकेगा।

15.0 अप्रत्याशित स्थितियां

किसी पार्टी द्वारा प्राकृतिक अथवा शत्रु की किसी क्रिया, सरकारी अथवा सरकारी प्राधिकरण के आदेश, युद्ध, राजद्रोह, तोड़फोड़ अथवा आग लगने, बाढ़, विस्फोट, दंगा अथवा हड़ताल वैश्विक महामारी (महामारी) होने की स्थिति के कारण हुई किसी देरी अथवा इसमें किए गए उल्लेख के अनुसार निष्पादन न कर पाने के परिणामस्वरूप हुई चूक को देरी / निष्पादन न कर पाने के परिणामस्वरूप हुई चूक अथवा क्षति को इसमें उल्लिखित चूक नहीं माना जाएगा अथवा क्षति से संबंधित दावे, यदि कोई हो, के तौर पर नहीं लिया जाएगा। विक्रेता को ऊपर संदर्भित स्थितियों का रिकार्ड रखना होगा तथा ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के सात दिन के भीतर लिखित रूप में इसे क्रेता के संबंधित अधिकारी की जानकारी में लाना होगा। इन कारणों से हुई समय की देरी, यदि कोई हो, का गणन संविदा अवधि में शामिल नहीं किया जाएगा। विक्रेता के साथ विचार विमर्श के पश्चात् क्रेता द्वारा लिया जाने वाला निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी माना जाएगा। इस प्रकार के समय की अवधि क्रेता द्वारा बढ़ाई जाएगी ताकि विक्रेता द्वारा विस्तारित अवधि के दौरान मदों की डिलीवरी की जा सके।

अप्रत्याशित घटना की स्थिति समाप्त होने के पश्चात्, उस पार्टी द्वारा, जिसके दायित्वों का निष्पादन प्रभावित हुआ है, दूसरी पार्टी को ऐसे अवरोध की जानकारी दी जाएगी तथा दूसरी पार्टी को यह सूचित किया जाएगा कि प्रभावित क्रियाकलापों में कितने समय की वास्तविक देरी हुई है। ऐसी स्थिति, जब कभी घटित हो, बशर्ते इससे पार्टी के संविदागत दायित्वों के निर्वाह में अवरोध उत्पन्न हुआ हो, प्रभावित हुआ हो अथवा देरी हुई हो, अप्रत्याशित घटना का दावा करने के लिए न्यायोचित होनी चाहिए।

16.0 बोली सुरक्षा घोषणा:

भाग लेने वाले बोलीदाताओं को बोलीदाता के लेटर हेड पर बोली सुरक्षा घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जिस पर ईएमडी के बदले बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए जाते हैं और मुहर लगी होती है।

उक्त घोषणा में बोलीदाता को यह घोषणा करनी चाहिए कि बोलीदाता निविदा नियत तिथि के बाद और बोली वैधता अवधि आदि के दौरान अपनी बोली को वापस या संशोधित नहीं करेगा। बोलीदाता को यह भी घोषणा करनी चाहिए कि यदि वे घोषणा का पालन करने में विफल रहते हैं, तो वे निविदा में निर्दिष्ट उनके खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाई को स्वीकार करने के लिए सहमत हैं।

यदि कोई बोलीदाता निविदा नियत तिथि के बाद और बोली वैधता आदि की अवधि के दौरान बोली को वापस ले लिया या संशोधित करता है, तो बोलीदाता को 9 माह की अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है।

यदि बीएल बोलीदाता द्वारा बोली में किसी भी संशोधन का अनुरोध करते हैं और बोलीदाता इसे स्वीकार करता है, तो उल्लिखित दंडात्मक कार्रवाई लागू नहीं होगी।

17.0 सुरक्षा जमा (एसडी)

आपूर्तिकर्ता (आपूर्तिकर्ताओं) द्वारा आशय पत्र/ क्रयादेश प्राप्त किए जाने के पश्चात् क्रयादेश /आशय पत्र जारी किए जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर आदेश के संतोषजनक निष्पादन के तौर पर आदेश के कुल मूल्य (कर एवं शुल्कों के अलावा मूल आदेश मूल्य) पर 2% की दर से कोलकाता (कलकत्ता), भारत में किसी अनुसूचित बैंक में देय “बामर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड” के नाम से जारी धनादेश / डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा राशि प्रस्तुत करनी होगी। इसके लिए भारत में किसी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक से निविदा के अंत तक मान्य समान मूल्य की सुरक्षा गारंटी भी प्रस्तुत की जा सकती है।

18.0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए प्रावधान:

एमएसई की लोक अधिप्राप्ति नीति के अनुसार निम्नलिखित अर्हता मापदंडों को पूरा किए जाने की शर्त पर अर्हता प्राप्त एमएसई विक्रेताओं को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे :

- c. अर्हता प्राप्त पंजीकृत एमएसई विक्रेता को उसके द्वारा पंजीकरण विवरण प्रस्तुत किए जाने एवं अर्हता मापदंडों को पूरा करने की शर्त के साथ बयाना जमा राशि जमा न करने की छूट प्रदान की गई है।
- d. निविदाओं में मूल्य निवेदित किए जाने को वरीयता : अर्हता प्राप्त ऐसे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम, जो एल1+15% के दायरे में मूल्य करते हैं, को उनके द्वारा अपने मूल्य एल1 मूल्य, जो सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के अलावा अन्य किसी के द्वारा निवेदित किया गया है, के समान कम करने की स्थिति में, अपेक्षाओं के भाग की आपूर्ति की अर्हता प्राप्त होगी। ऐसे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सम्बद्ध संयंत्रों के लिए अपेक्षित विशिष्ट ग्रेड (ग्रेडों)/मद (मदों) की कुल निविदा मात्रा का 25% आपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी जो कि निविदा प्राधिकारी द्वारा प्रचालनात्मक व्यवहार्यता की अनुरूपता पर विचार किए जाने की शर्त पर होगी। कृपया यह भी ध्यान दें कि गैर-एमएसई की अनुरूपता वाले ऐसे एमएसई निविदाकर्ता यदि एक से अधिक होते हैं तो एल-1 अनुरूपता वाले एमएसई निविदाकर्ताओं के मध्य 25% निविदा मात्रा को समान रूप से विभाजित किया जाएगा। यदि उपर्युक्त मूल्य बैंड (एल1+15%) के लिए एक से अधिक एमएसई निविदाकर्ता होते हैं तो ऐसे निविदाकर्ताओं से एल1 मूल्य की अनुरूपता मांगे जाने के दौरान निविदाकार द्वारा ऐसे निविदाकर्ताओं की संख्या सूचित की जाएगी।

उपर्युक्त लाभों को प्राप्त करने के संबंध में एमएसई के लिए अर्हता मापदंड:

- d. एमएसई विक्रेता को यह पुष्टि करनी होगी कि उसके द्वारा इस निविदा के अंतर्गत एमएसई विक्रेता के रूप में विचार के लिए मंत्रालय के दिनांक 6.4.2018 के परिपत्र संख्या एफ.नं.21(17)/2016 की अपेक्षाओं के अनुसार सीपीपीपी के वेबसाइट पर अपना यूएएम नम्बर अपलोड कर दिया गया है। अर्हता प्राप्त एवं पंजीकृत एमएसई विक्रेताओं को उनके द्वारा पंजीकरण विवरण प्रस्तुत किए जाने की शर्त पर बयाना जमा राशि जमा न करने की छूट प्रदान की गई है। केन्द्रीय लोक अधिप्राप्ति पोर्टल [सीपीपीपी] पर उद्योग आधार जापन संख्या [यूएएम नम्बर] की घोषणा करना अनिवार्य है। एमएसई विक्रेताओं से संयंत्र एवं मशीनरी में किए गए निवेश का प्रमाण पत्र (किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित) प्रस्तुत करने की अपेक्षा भी की गई है। इसके अलावा उनसे किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित पिछले पूर्ण वित्तीय

वर्ष की टर्नओवर से संबंधित लेखापरीक्षित तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि विवरण अथवा लेखापरीक्षित तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि विवरण न होने की स्थिति में किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित पिछले पूर्ण वित्तीय वर्ष की टर्नओवर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा भी की गई है।

- e. ऊपर उल्लिखित प्रावधान केवल एमएसई द्वारा उत्पादन किए जाने वाले माल एवं प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रापण के लिए आशित हैं तथा ये उनके द्वारा की जाने वाली ट्रेडिंग क्रियाओं के लिए नहीं हैं। निविदाकर्ता को निवेदित मदों का निर्माण / सेवाएं स्वयं किए जाने का स्व-सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बामर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड को इसका सत्यापन करने का सुरक्षित अधिकार प्राप्त है।
- f. लोक अधिप्राप्ति नीति के अनुसार एमएसई की अर्हता प्राप्ति के लिए उपर्युक्त सभी विवरण अनिवार्य हैं।

निविदाकर्ताओं को एमएसई से संबंधित लोक अधिप्राप्ति नीति के लाभ की प्राप्ति की अर्हता के लिए अपनी एमएसई स्थिति की प्रस्तुति से पूर्व नीचे प्रस्तुत "एमएसई की नई परिभाषा" से संबंधित दिनांक 1 जून, 2020 की सरकारी अधिसूचना को पढ़ लेना चाहिए।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 1 जून, 2020

का.अ.1702(अ)— सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 7 की उप-धारा (9) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 30 सितम्बर, 2006 के सा.आ. 1642 (ई) के तहत प्रकाशित भारत सरकार, लघु उद्योग मंत्रालय की दिनांक 29 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना के अधिक्रमण में तथा ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए कार्य अथवा विलोपित किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, केन्द्र सरकार एतद्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए निम्नलिखित मानदंडों को अधिसूचित करती है, नामतः:

(i) सूक्ष्म उद्यम वह हैं जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में 1 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता है;

(ii) लघु उद्यम वह हैं जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में 10 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता है;

यह अधिसूचना 1.07.2020 से लागू होगी।

18.1 मेक इन इंडिया नीति के लिए वरीयता-निवेदित मदों में स्थानीय अवयव उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 4.6.2020 के (आदेश संख्या पी-45021/2/2017-पीपी (बीई-II) संदर्भ में।

श्रेणी 1 स्थानीय आपूर्तिकर्ता को भारत सरकार के मेक इन इंडिया ऑर्डर (डीपीआईटी के दिनांक 04.06.2020 के ऑर्डर नंबर पी-45021/2/2017-पीपी (बीई-II) के वरीयता के अनुसार खरीद वरीयता दी जाएगी। हालांकि, यह वरीयता केवल उन बोलीदाताओं के लिए लागू होगी जो तकनीकी रूप से योग्य हैं। निविदा के एमएसई खंड के अनुसार, यह वरीयता योग्य एमएसई बोलीदाता (यदि कोई हो) के लिए अनुमति दी गई मात्रा को शुद्ध करने के बाद लागू होगी।

ऊपर संदर्भित आदेश के अनुसरण में "स्थानीय अवयव, "श्रेणी-I-स्थानीय आपूर्तिकर्ता", "श्रेणी-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता" की परिभाषा निम्नानुसार है:-

"स्थानीय अवयव" से भारत में संवर्धित मूल्य की राशि अभिप्रेत है जो नोडल मंत्रालय निर्दिष्ट नहीं किए जाने की स्थिति में मद के प्रापण के कुल मूल्य (निवल अंतर्देशीय अप्रत्यक्ष करों के अलावा) में से मद के आयातित अवयव मूल्य (सभी सीमा शुल्कों सहित) को घटाकर प्रतिशत में कुल मूल्य की आनुपातिक है।

श्रेणी - I स्थानीय आपूर्तिकर्ता - का अर्थ वह आपूर्तिकर्ता अथवा सेवा प्रदाता है जो प्रापण के लिए ऐसे माल, सेवाओं अथवा कार्यों के प्रस्ताव करता है जिसमें इस आदेश में की गई परिभाषा के अनुसार स्थानीय अवयव 50% के समान अथवा अधिक हैं।

श्रेणी - II स्थानीय आपूर्तिकर्ता - का अर्थ वह आपूर्तिकर्ता अथवा सेवा प्रदाता है जो प्रापण के लिए ऐसे माल, सेवाओं अथवा कार्यों के प्रस्ताव करता है जिसमें इस आदेश में की गई परिभाषा के अनुसार स्थानीय अवयव 20% से अधिक परन्तु 50 % से कम हैं।

गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता- का अर्थ वह आपूर्तिकर्ता अथवा सेवा प्रदाता है जो प्रापण के लिए ऐसे माल, सेवाओं अथवा कार्यों के प्रस्ताव करता है जिसमें इस आदेश के अनुसार स्थानीय अवयव 20% से कम हैं।

उपर्युक्त दिशानिर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए आपसे निम्नलिखित निर्दिष्ट प्रारूप में सूचना प्रस्तुत करने तथा **मद (मदों) में स्थानीय अवयव के प्रतिशत के संबंध में निर्दिष्ट प्रारूप में स्व-घोषणा / प्रमाणन करने करने** की अपेक्षा की गई है। आपका ध्यान मिथ्या घोषणा किए जाने की स्थिति के लिए भारत सरकार के ऊपर संदर्भित आदेश के नीचे उल्लिखित पैरा 9(च) एवं (छ) की ओर भी आकर्षित किया जाता है।

क्र.सं.	मद (मदों) का वर्णन	आपके उत्पाद (उत्पादों) में स्थानीय अवयव का प्रतिशत

स्थानीय अवयव के लिए सत्यापन

1. मिथ्या घोषणा को सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 175 (1) (झ) (ज) के अंतर्गत सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन माना जाएगा जिसके लिए निविदाकर्ता अथवा उसके उत्तराधिकारी को सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 151(iii) के अंतर्गत विवर्जित किए जाने के साथ साथ विधि सम्मत अन्य कार्रवाई भी की जा सकेगी।
2. इस आदेश के उल्लंघन के प्रति किसी प्रापण इकाई द्वारा विवर्जित किए गए आपूर्तिकर्ता को विवर्जन की अवधि के दौरान किसी अन्य प्रापण इकाई के किसी प्रापण आदेश के अंतर्गत वरीयता प्राप्त करने की अर्हता नहीं होगी। ऐसी अन्य प्रापण इकाई द्वारा किया गया विवर्जन अन्य प्रापण इकाई की जानकारी में आने की तिथि से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ नीचे दिए गए पैराग्राफ (ज) के अंतर्गत निर्दिष्ट विधि से प्रभावी होगा।

19.0 सत्यनिष्ठा संधि (आईपी)

इस निविदा के अंतर्गत मूल्यांकन की अर्हता के लिए सत्यनिष्ठा संधि की प्रस्तुति की

जानी अनिवार्य है। सत्यनिष्ठा संधि अनुलग्नक I में दिए गए मसौदे के अनुसार सादे कागज पर मुद्रित करके निविदाकर्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा मोहर सहित हस्ताक्षर किया जाना है। यह संधि दोनों पक्षकारों द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात प्रभावी होगी। इसका समापन ठेकेदार को इस अनुबंध के अंतर्गत अंतिम भुगतान किए जाने के 10 माह के पश्चात तथा अन्य सभी निविदाकर्ताओं के मामले में इस अनुबंध को जारी किए जाने के 6 माह के पश्चात् होगा।

20.0 निविदाओं में सम्मिलित किए जाने वाले खंड / प्रमाण पत्र

सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर), 2017 के नियम 144 (xi) के तहत प्रतिबंध

- I. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से कोई भी बोलीदाता इस निविदा में बोली लगाने के लिए पात्र होगा बशर्ते बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत हो।
- II. 'बोलीदाता' (कुछ संदर्भों में 'निविदाकर्ता', 'सलाहकार' या 'सेवा प्रदाता' शब्द सहित) का अर्थ है किसी भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी का अर्थ है, जिसमें संघ या संयुक्त उद्यम का कोई भी सदस्य (जो कई व्यक्तियों का एक संघ है, या फर्म या कंपनियाँ), शामिल है प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति किसी भी एजेंसी, शाखा या कार्यालय, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है, खरीद प्रक्रिया में भाग लेने वाले किसी भी बोलीदाता के विवरण में नहीं आते हैं।
- III. इस आदेश के उद्देश्य के लिए "भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से बोली लगाने वाले का अर्थ है:"
 - क. ऐसे देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत इकाई; या
 - ख. ऐसे देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत इकाई की सहायक कंपनी; या
 - ग. ऐसे देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से काफी हद तक नियंत्रित एक इकाई; या
 - घ. एक इकाई जिसका लाभकारी मालिक ऐसे देश में स्थित है; या
 - ङ. ऐसी इकाई का एक भारतीय (या अन्य) एजेंट; या
 - च. एक प्राकृतिक व्यक्ति जो ऐसे देश का नागरिक है; या

छ. एक कंसोर्टियम या संयुक्त उद्यम जहां कंसोर्टियम या संयुक्त उद्यम का कोई भी सदस्य उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत आता है

IV. ऊपर (iii) के प्रयोजन के लिए लाभकारी मालिक (स्वामी) निम्नानुसार होगा:

1. किसी कंपनी या सीमित देयता भागीदारी के मामले में, लाभकारी स्वामी प्राकृतिक व्यक्ति है जो अकेले या एक साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, उसका स्वामित्व स्वामित्व है या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण रखता है।

स्पष्टीकरण-

क. "स्वामित्व हित को नियंत्रित करना" का अर्थ है शेयरों या पूंजी या कंपनी के मुनाफे का पच्चीस प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या अधिकार।

ख. "नियंत्रण" में अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने या प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा, जिसमें उनके शेयरहोल्डिंग या प्रबंधन अधिकार या शेयरधारकों के समझौतों या मतदान समझौतों के आधार शामिल हैं;

"नियंत्रण" में निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या उनके

शेयरहोल्डिंग या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के समझौतों

या मतदान

समझौतों सहित प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को

नियंत्रित करने का अधिकार

शामिल होगा;

2. साझेदारी फर्म के मामले में लाभकारी स्वामी प्राकृतिक व्यक्ति है, जो अकेले या एक साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के साथ काम करता है, उसके पास साझेदारी के पंद्रह प्रतिशत से अधिक पूंजीगत लाभ या मुनाफे का स्वामित्व है;

3. व्यक्तियों के एक अनिगमित संघ या निकाय के मामले में, लाभकारी मालिक प्राकृतिक व्यक्ति (यां) है, जो, चाहे वह अकेले या एक साथ काम कर रहा हो, या एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से, संपत्ति या पूंजी या ऐसे संघ या व्यक्तियों के शरीर के मुनाफे के पंद्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या पात्रता है;

4. जहां किसी भी प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान (1) या (2) या (3) के ऊपर नहीं की जाती है, वहां लाभकारी स्वामी प्रासंगिक प्राकृतिक व्यक्ति होता है जो वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी होता है ;
5. ट्रस्ट के मामले में, लाभकारी मालिक (कों) की पहचान में ट्रस्ट के प्रणेता, ट्रस्टी, ट्रस्ट में पंद्रह प्रतिशत या उससे अधिक रुचि वाले लाभार्थियों और नियंत्रण या स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से ट्रस्ट पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण का प्रयोग करने वाला कोई अन्य प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान शामिल होगी।

- V. एक एजेंट दूसरे के लिए कोई भी कार्य करने के लिए या तीसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार में दूसरे का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित व्यक्ति है।
- VI. (टर्नकी अनुबंधों सहित कार्यों के ठेकों के लिए निविदाओं में डाला जाना) सफल बोलीदाता को किसी ऐसे देश के किसी भी ठेकेदार को उप-संविदा कार्य करवाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है जब तक कि ऐसा ठेकेदार सक्षम प्राधिकरण के साथ पंजीकृत न हो।

बोलीदाता के लेटर हेड में उपरोक्त के अनुपालन के संबंध में एक प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले बोलीदाता के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी हुई होनी चाहिए। यदि बोली लगाने वाले द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र जिसकी बोली स्वीकार की जाती है, वह गलत पाया जाता है, तो यह तत्काल समाप्ति और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए एक आधार होगा।

हमने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंधों के संबंध में खंड पढ़ा है; हम प्रमाणित करते हैं कि (फर्म/बोलीदाता का नाम) ऐसे देश से नहीं है या यदि ऐसे

देश से है तो सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत किया गया है। हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि..... (फर्म/बोलीदाता का नाम) इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और विचार करने के योग्य है।

जहां लागू हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध पंजीकरण के साक्ष्य संलग्न किए जाएंगे।

21.0 निविदा दस्तावेज के अंग्रेजी तथा हिन्दी पाठ में किसी प्रकार की असंगति / भिन्नता पाए जाने के मामले में अंग्रेजी पाठ मान्य एवं विचारणीय होगा।

22.0 प्रस्ताव की वैधता

प्रस्ताव हमारे द्वारा स्वीकृति के लिए निविदा की नियत तिथि अथवा विस्तारित तिथि, यदि कोई हो, से 60 दिन तक मान्य होना चाहिए।

23.0 निविदा रद्द करना

बामर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड (बीएल) द्वारा अपने स्व विवेक से कभी भी किसी भी समय [निविदा प्रस्तुति की तिथि से पूर्व अथवा पश्चात] किन्हीं अप्रत्याशित परिस्थितियों में अथवा किसी अन्य कारण से इस निविदा प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। बामर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड किसी प्रतिभागी / निविदाकर्ता को उक्त निविदा पर इस कार्रवाई के लिए कोई जवाबदेही करने की उत्तरदायी नहीं होगी।

24.0 प्रस्ताव की प्रस्तुति

निविदाकर्ताओं से अपने प्रस्ताव आनलाइन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है। तथापि, डिमांड ड्राफ्ट / धनादेश के माध्यम से चुकता की गई बयाना राशि तथा अन्य दस्तावेज, यदि कोई हों, हमारे कार्यालय में निविदा की नियत तिथि तथा समय से पूर्व अवश्य पहुंच जाने चाहिए।

निविदा के बाहरी लिफाफे पर "एडिटिक्स के लिए निविदा" लिखा जाना चाहिए तथा इसे निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए

श्री अर्णब घटक

वरिष्ठ प्रबंधक (एससीएम)

बामर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड,

ग्रीसेस एंड लुब्रिकेंट्स डिवीजन,

पी -43, हाइड रोड एक्सटेंशन,

कोलकाता - 700 088, भारत

फोन नम्बर : (+) 91 33 2450 0116
 मोबाइल : (+) 91 9007062135
 ईमेल : ghatak.a@balmerlawrie.com

निविदाकर्ता के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर मोहर लगाकर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए तथा इसकी प्रस्तुति प्रस्ताव से संबंधित नियम एवं शर्तों की स्वीकृति के साथ की जानी चाहिए। व्यतिक्रम, यदि कोई हों, को निविदा की व्यतिक्रम शीट में रिकार्ड किया जाना चाहिए।

सम्बद्ध कम्पनियों (सम्बद्ध कम्पनियों की परिभाषा कम्पनी अधिनियम, 1946 में किए गए वर्णन के अनुसार भारत में लागू होगी) से प्राप्त प्रस्तावों को एक प्रस्ताव माना जाएगा।

नियत तिथि के पश्चात प्राप्त प्रस्ताव (प्रस्तावों) मूल्यांकन के लिए विचारणीय नहीं होंगे तथा उनके मोहरबंद लिफाफे (लिफाफों) को खोला नहीं जाएगा। नियत तिथि एवं समय पर प्रस्ताव न पहुंच पाने के प्रति बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड उत्तरदायी नहीं होगी।

आवर्धन / शुद्धिपत्र :

आवश्यकता पड़ने पर किसी प्रकार के आवर्धन / शुद्धिपत्र केवल कम्पनी की वेबसाइट www.balmerlawrie.com तथा बामर लॉरी की उस ई-प्रापण वेबसाइट <https://balmerlawrie.eproc/.in> पर ही अपलोड किए जाएंगे जहां से यह निविदा जारी की गई है तथा इच्छुक विक्रेताओं को इन वेबसाइटों से नियमित अपडेट प्राप्त करते रहना चाहिए।

धन्यवाद

भवदीय

कृते बामर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड

(अर्णब घटक)

वरिष्ठ प्रबंधक (एससीएम)

सत्यनिष्ठा संधि

बामर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड (बीएल) , जिसे एतद्द्वारा 'प्रिंसिपल' के रूप में संदर्भित किया जाएगा,

तथा

-----, के बीच, जिसे एतद्द्वारा "निविदाकर्ता/ठेकेदार " के रूप में संदर्भित किया जाएगा, के मध्य।

प्रस्तावना

प्रिंसिपल, निर्धारित संगठनात्मक प्रक्रियाओं के अनुसार,-----

-----कार्य के लिए अनुबंध करना चाहता है।

प्रिंसिपल सभी संबंधित स्थानीय कानूनों, नियमों, विनियमों, संसाधनों के आर्थिक उपयोग के अनुपालन तथा निविदाकर्ता (निविदाकर्ताओं) तथा / अथवा ठेकेदार (ठेकेदारों) के साथ अपने संबंधों में सत्य व्यवहार /पारदर्शिता चाहता है।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रिंसिपल द्वारा स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर (आईएम), की नियुक्ति की जाएगी जो निविदा प्रक्रिया तथा ऊपर उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार प्रिंसिपल के साथ अनुबंध के अनुपालन के निष्पादन की निगरानी करेगा।

खंड 1 - प्रिंसिपल की प्रतिबद्धता

1. प्रिंसिपल भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए आवश्यक सभी उपाय करने तथा निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के प्रति प्रतिबद्ध है :-

क) प्रिंसिपल का कोई भी कर्मचारी वैयक्तिक अथवा परिवार के सदस्यों के माध्यम से इस निविदा अथवा अनुबंध के निष्पादन के संबंध में स्वयं अथवा किसी तृतीय व्यक्ति के लिए किसी प्रकार की मांग, कोई वचन देने अथवा स्वीकार करने, किसी प्रकार का ऐसे भौतिक अथवा अभौतिक लाभ प्राप्त करने का कृत्य नहीं करेगा जिसे प्राप्त करने की उसकी वैध हकदारी नहीं है।

ख) निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रिंसिपल द्वारा प्रत्येक निविदाकर्ता (निविदाकर्ताओं) के साथ समानता एवं समरूप व्यवहार किया जाएगा। विशेषतः प्रिंसिपल द्वारा निविदा प्रक्रिया से पूर्व तथा उसके दौरान प्रत्येक निविदाकर्ता (निविदाकर्ताओं) को समान सूचना प्रदान की जाएगी तथा किसी निविदाकर्ता (निविदाकर्ताओं) को गोपनीय/अतिरिक्त ऐसी सूचना प्रदान नहीं की जाएगी जिससे निविदाकर्ता (निविदाकर्ताओं) को निविदा प्रक्रिया अथवा अनुबंध के निष्पादन में किसी लाभ की प्राप्ति होती हो।

ग) इस प्रक्रिया से प्रिंसिपल द्वारा ऐसे सभी पूर्व ज्ञात खराब कार्य करने वाले व्यक्तियों को इस प्रक्रिया से अलग रखा जा सकेगा।

2. यदि प्रिंसिपल को अपने किसी कर्मचारी के आचरण के संबंध में ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है जो भारतीय दंड संहिता/दंड संहिता अधिनियम के अंतर्गत आपराधिक कृत्य है

अथवा ऐसा होने का पर्याप्त संदेह है तो प्रिंसिपल द्वारा इस संबंध में अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ करने के साथ साथ मुख्य सतर्कता अधिकारी को इसकी जानकारी दी जाएगी।

खंड 2 - निविदाकर्ता (निविदाकर्ताओं)/ ठेकेदार (ठेकेदारों) की प्रतिबद्धता

1. निविदाकर्ता (निविदाकर्ताओं) / ठेकेदार (ठेकेदारों) की भ्रष्टाचार के निवारण के लिए स्वयं आवश्यक सभी उपायों का उपयोग करने की प्रतिबद्धता होगी। उनकी यह प्रतिबद्धता निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के दौरान अनुबंध का निर्वाह करने तथा निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के प्रति होगी।

क) निविदाकर्ता (निविदाकर्ताओं) / ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा परोक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति अथवा फर्म के माध्यम से इस निविदा प्रक्रिया अथवा अनुबंध के निष्पादन में शामिल प्रिंसिपल के किसी कर्मचारी अथवा किसी तृतीय व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया अथवा अनुबंध के निष्पादन के दौरान किसी प्रकार के लाभ की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के ऐसे भौतिक अथवा अन्य लाभ प्रदान नहीं किए जाएंगे जिसे प्राप्त करने के वे विधिक हकदार नहीं हैं।

ख) निविदाकर्ता (निविदाकर्ताओं) / अथवा ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा अन्य निविदाकर्ताओं के साथ किसी प्रकार का औपचारिक अथवा अनौपचारिक अप्रकट अनुबंध अथवा वचनबद्धता नहीं की जाएगी। ऐसा विशेषतः मूल्यों, विशिष्टताओं, प्रमाणन, अनुषंगी अनुबंध, निविदाओं की प्रस्तुति अथवा प्रस्तुति नहीं किए जाने अथवा अन्य प्रतिबंधित प्रतिस्पर्धी क्रियाओं अथवा बोली प्रक्रिया में व्यवसायी समूहन किए जाने के लिए लागू है।

ग) निविदाकर्ता (निविदाकर्ताओं) / अथवा ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा भारतीय दंड संहिता/ दंड संहिता अधिनियम के अंतर्गत किसी प्रकार का आपराधिक कृत्य नहीं किया जाएगा; इसके अलावा, निविदाकर्ता (निविदाकर्ताओं) / अथवा ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा प्रिंसिपल से व्यावसायिक संबंधों के उद्देश्यों से प्राप्त योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों तथा व्यावसायिक विवरणों, जिसमें सम्मिलित सूचना अथवा इलेक्ट्रॉनिक ढंग से ट्रांसमिट की गई सूचना भी शामिल होगी, से संबंधित कोई सूचना अथवा दस्तावेज का उपयोग प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य से अथवा वैयक्तिक लाभ के लिए अथवा अन्यो को अग्रेषित किए जाने के लिए अनुचित ढंग से नहीं किया जाएगा।

घ) विदेशी मूल के निविदाकर्ता (निविदाकर्ताओं) / अथवा ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा भारत में अपने एजेंट / प्रतिनिधि के नाम और पते, यदि कोई हो, के संबंध में प्रकटीकरण किया जाएगा। इसी प्रकार भारतीय नागरिकता वाले निविदाकर्ता (निविदाकर्ताओं) / अथवा ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा अपने विदेशी स्वामियों, यदि कोई हों, के संबंध में नाम और पते प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके साथ साथ “विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय एजेंटों से संबंधित दिशानिर्देश” में उल्लिखित विवरण का प्रकटीकरण निविदाकर्ता (निविदाकर्ताओं) / अथवा ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा, दिशानिर्देशों में किए गए उल्लेख के अनुसार भारतीय एजेंट/ प्रतिनिधियों को किया जाने वाला प्रत्येक प्रकार का भुगतान केवल भारतीय

रूप में ही किया जाना है। “विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय एजेंटों से संबंधित दिशानिर्देश” की एक प्रति अनुलग्नक - क के रूप में संलग्न की गई है।

ड) निविदाकर्ता (निविदाकर्ताओं) / अथवा ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा अपनी बोली प्रस्तुत करते समय यह प्रकटीकरण किया जाएगा कि उन्होंने अनुबंध की प्राप्ति के संबंध में किसी एजेंट, दलाल अथवा अन्य किसी बिचौलिए को कोई अथवा कैसा भी भुगतान करने का वायदा नहीं किया है तथा न ही ऐसा कुछ करने की उनकी कोई मंशा है।

2. निविदाकर्ता (निविदाकर्ताओं) / ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा किसी तृतीय पक्षकार को किसी अपराध अथवा उपर्युक्तानुसार कोई कृत्य अथवा ऐसे अपराधों में किसी प्रकार की संलिप्तता के लिए प्रेरित नहीं किया जाएगा।

खंड 3: निविदा प्रक्रिया के प्रति अनर्हता तथा भावी अनुबंध (अनुबंधों) से अलग किया जाना

यदि निविदाकर्ता (निविदाकर्ताओं) / अथवा ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा अवार्ड सौंपे जाने से पहले अथवा निष्पादन के दौरान खंड 2 का उल्लंघन करने का कोई कृत्य उपर्युक्तानुसार अथवा किसी अन्य किसी स्वरूप में किया जाता है जिससे उसकी विश्वसनीयता और साख प्रश्नों के दायरे में आए तो प्रिंसिपल द्वारा निविदाकर्ता (निविदाकर्ताओं) / अथवा ठेकेदार (ठेकेदारों) की पात्रता को निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत अथवा “बामर लॉरी ब्लैकलिस्टिंग नीति” के अंतर्गत कार्रवाई करके अयोग्य ठहराया जा सकेगा। “बामर लॉरी ब्लैकलिस्टिंग नीति” अनुलग्नक - ख के रूप में संलग्न की गई है।

खंड 4 - क्षतिओं का मुआवजा

क) यदि प्रिंसिपल द्वारा निविदाकर्ता(निविदाकर्ताओं) को खंड 3 के अनुसार अवार्ड दिए जाने से पहले निविदा प्रक्रिया के लिए अयोग्य ठहराया जाता है तो प्रिंसिपल को क्षतिपूर्ति की मांग करने तथा बयाना जमा धन/ बोली सुरक्षा में से क्षति के समतुल्य वसूली की जा सकेगी।

ख) यदि प्रिंसिपल द्वारा खंड 2 के अनुसार अनुबंध को समाप्त किया जाता है अथवा प्रिंसिपल को खंड 3 के अनुसार अनुबंध 3 को समाप्त करने की पात्रता है तो प्रिंसिपल द्वारा ठेकेदार से अनुबंध मूल्य के निर्णित हर्जाने अथवा निष्पादन बैंक गारंटी के समतुल्य राशि की मांग एवं वसूली की जा सकेगी।

खंड 5 - पूर्व उल्लंघन

क) यदि निविदाकर्ता द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी देश में किसी भी अन्य कम्पनी अथवा भारत में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में भ्रष्टाचार का कोई ऐसा कृत्य नहीं किए जाने की घोषणा की जाती है जिससे उसे निविदा प्रक्रिया से बाहर करने का कोई औचित्य प्राप्त होता हो।

ख) यदि निविदाकर्ता द्वारा इस विषय पर गलतबयानी की जाती है तो उसे निविदा प्रक्रिया के प्रति अयोग्य ठहराया जा सकता है अथवा उसके विरुद्ध “बामर लॉरी ब्लैकलिस्टिंग नीति” में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

खंड 6- सभी निविदाकर्ताओं/ठेकेदारों/उप ठेकेदारों के साथ समान व्यवहार किया जाना।

- क) निविदाकर्ता (निविदाकर्ताओं) / ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा अपने उप ठेकेदारों से इस सत्यनिष्ठा संधि के प्रति पुष्टि प्राप्त करना तथा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व इसे प्रिंसिपल को प्रस्तुत करना।
- ख) प्रिंसिपल द्वारा सभी निविदाकर्ताओं / ठेकेदारों तथा उप ठेकेदारों के साथ इस अनुबंध के अनुरूप ही समान शर्तों वाले अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- ग) इस संधि पर हस्ताक्षर न करने वाले अथवा इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले सभी निविदाकर्ताओं को प्रिंसिपल द्वारा निविदा प्रक्रिया के प्रति अयोग्य ठहराया जा सकेगा।

खंड 7 - उल्लंघनकर्ता निविदाकर्ता (निविदाकर्ताओं) / ठेकेदार (ठेकेदारों) / उप ठेकेदार (उप ठेकेदारों) के खिलाफ आपराधिक आरोप

यदि प्रिंसिपल को किसी निविदाकर्ता/ठेकेदार अथवा उप ठेकेदार अथवा निविदाकर्ता, ठेकेदार अथवा उप ठेकेदार के किसी कर्मचारी अथवा प्रतिनिधि अथवा सहयोगी के संबंध में भ्रष्टाचार के आचरण से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त होती है अथवा प्रिंसिपल को इसके संबंध में पर्याप्त संदेह है तो प्रिंसिपल द्वारा इसकी जानकारी मुख्य सतर्कता अधिकारी को दी जाएगी।

खंड 8 - स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर

- क) प्रिंसिपल द्वारा इस संधि के लिए सक्षम एवं विश्वसनीय स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर की नियुक्ति की जाएगी। मॉनीटर का कार्य स्वतंत्र एवं उद्देश्यपरक रूप से इस अनुबंध के अंतर्गत दायित्वों का अनुपालन पार्टियों द्वारा किए जाने तथा किस सीमा तक किए जाने की समीक्षा की जाएगी।
- ख) मॉनीटर को पार्टियों के प्रतिनिधियों द्वारा निदेश नहीं जा सकेंगे तथा वह अपना कार्य निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से करेगा। वह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बामर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड को रिपोर्ट करेगा।
- ग) निविदाकर्ता (निविदाकर्ताओं) / ठेकेदार (ठेकेदारों) की यह स्वीकृति होगी कि मॉनीटर को बिना किसी रोक टोक के परियोजना से संबंधित प्रिंसिपल के सभी दस्तावेजों तथा ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों को प्राप्त करने का अधिकार है। ठेकेदार द्वारा मॉनीटर को यह स्वीकृति भी प्रदान की जाएगी कि उसके द्वारा अनुरोध किए जाने अथवा उचित रूचि दर्शाए जाने पर परियोजना से संबंधित दस्तावेज बिना किसी रोक एवं बिना किसी शर्त के उसे उपलब्ध होंगे। यह उप ठेकेदारों के लिए भी लागू होगा। मॉनीटर द्वारा संविदागत बाध्यता के अंतर्गत निविदाकर्ता(निविदाकर्ताओं)/ ठेकेदार (ठेकेदारों)/ उप ठेकेदार (उप ठेकेदारों) से संबंधित सूचना एवं दस्तावेजों के प्रति गोपनीयता बरती जाएगी।
- घ) यदि प्रिंसिपल एवं ठेकेदार के बीच किसी बैठक में संविदागत संबंध प्रभावित होने की संभावना हो तो प्रिंसिपल द्वारा परियोजना के संबंध में सभी पार्टियों के साथ आयोजित की जाने वाली बैठकों की पर्याप्त सूचना स्वतंत्र मॉनीटर को दी जाएगी। पार्टियों

द्वारा मॉनीटर को ऐसी बैठकों में प्रतिभागिता करने का विकल्प भी प्रदान किया जाएगा।

- ड) मॉनीटर द्वारा इस अनुबंध के प्रति किसी प्रकार का उल्लंघन पाए जाने अथवा प्रतीत होने की स्थिति में प्रिंसिपल के प्रबंधन को स्वयं इसकी जानकारी दी जाएगी तथा यह अनुरोध किया जाएगा कि वे इसे जारी न रखें अथवा सुधार कार्रवाई अथवा अन्य कोई उचित कार्रवाई करें। मॉनीटर द्वारा इस संबंध में गैर-बाध्यकारी सिफारिशों की जा सकेंगी। इसके अलावा, मॉनीटर को पार्टियों से किसी विशिष्ट ढंग से व्यवहार करने, किसी कृत्य को न करने अथवा किसी कृत्य को सहन करने की मांग करने का अधिकार नहीं है।
- च) प्रिंसिपल से सूचना प्राप्त होने की तिथि से 8 से 10 सप्ताह के भीतर मॉनीटर द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बामर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड को लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी तथा आवश्यकता होने पर समस्यात्मक स्थितियों को सुधारने के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे।
- छ) मॉनीटर की पारितोषिक से संबंधित पात्रता उन्हीं शर्तों के अनुसार होगी जो बामर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड के निदेशक मंडल के स्वतंत्र निदेशकों को दी जाती है / उपलब्ध कराई जाती है।
- ज) यदि मॉनीटर द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बामर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड को भारतीय दंड संहिता/दंड संहिता अधिनियम के अंतर्गत किसी कृत्य का उचित संदेह होने की सूचना दी जाती है तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बामर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड द्वारा ऐसे कृत्य के प्रति औचित्यपरक समय में पर्याप्त उचित कार्रवाई नहीं की जाती है अथवा उसकी सूचना मुख्य सतर्कता अधिकारी को नहीं दी जाती है तो मॉनीटर द्वारा ऐसी सूचना सीधे केन्द्रीय सतर्कता आयोग को दी जा सकेगी।

झ) मॉनीटर शब्द में एकल एवं एकाधिक दोनों सम्मिलित हैं।

खंड 9 - संधि की अवधि

यह संधि दोनों पक्षकारों द्वारा विधिक रूप में हस्ताक्षर किए जाने के साथ लागू होगी। ठेकेदार के लिए इसकी वैधता अनुबंध के अंतर्गत अंतिम भुगतान प्राप्त होने के पश्चात 10 माह तक तथा अन्य निविदाकर्ताओं के लिए इस अनुबंध का अवार्ड दिए जाने के पश्चात 6 माह होगी। यदि इस काल के दौरान किसी प्रकार का दावा किया जाता है/दाखिल किया जाता है तो वह उपर्युक्तानुसार इस संधि के कालातीत होने पर भी बाध्यकारी एवं वैध होगा बशर्ते बामर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा इसके संबंध में उन्मोचन / निर्धारण न किया गया हो।

खंड 10 - अन्य प्रावधान

- क) यह अनुबंध भारतीय कानून का अनुसरण किए जाने की शर्त के साथ है। इसका निष्पादन एवं न्यायिक क्षेत्र प्रिंसिपल का पंजीकृत कार्यालय अर्थात् कोलकाता है।
- ख) किसी प्रकार के संशोधन अथवा अनुपूरक एवं समापन की सूचना लिखित रूप में दी जाएगी। इसके लिए सहायक अनुबंध नहीं किए गए हैं।

- ग) यदि ठेकेदार कोई साझीदार अथवा कंसोर्टियम है तो इस अनुबंध पर सभी साझीदारों अथवा कंसोर्टियम के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
- घ) इस अनुबंध के एक अथवा कुछ प्रावधान अवैध होने की स्थिति में इस अनुबंध के शेष प्रावधान वैध रहेंगे। ऐसे मामले में पक्षकारों को उनकी मौलिक मंशा के साथ एक सहमति बनाने का प्रयास करना होगा।

(कृते एवं प्रिंसिपल की ओर से)
(कार्यालय की मुहर)

(कृते एवं निविदाकर्ता/ठेकेदार की ओर से)
(कार्यालय की मुहर)

स्थान: -----

तिथि -----

साक्षी 1:

(नाम तथा पता)

साक्षी 2:

(नाम तथा पता)

विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय एजेंटों के लिए दिशानिर्देश

- 1.0 प्रत्येक वैश्विक (ओपन) निविदा तथा लिमिटेड निविदा के लिए एजेंटों का पंजीकरण अनिवार्य है। जो एजेंट बामर लॉरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं उन्हें निर्धारित पंजीकरण फार्म में अपने पंजीकरण का आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए।
- 1.1 बामर लॉरी द्वारा आदेश जारी करने से पूर्व पंजीकृत एजेंटों को नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत सत्यापित प्रिंसिपल के मूल्य प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी प्रस्तुत करनी होगी जिसमें एजेंसी अनुबंध की पुष्टि तथा एजेंट की स्थिति एवं प्रिंसिपल द्वारा एजेंट को चुकता की जा रही कमीशन/पारिश्रमिक /रिटेनरशिप का विवरण होना चाहिए।
- 1.2 जब कभी भारतीय प्रतिनिधि अपने प्रिंसिपल की ओर से कोई सूचना देते हैं तथा विदेशी पक्षकार द्वारा ऐसा उल्लेख किया जाता है कि वे भारतीय एजेंट को कोई कमीशन चुकता नहीं कर रहे हैं तथा भारतीय एजेंट वेतन अथवा रिटेनर के आधार पर कार्य रहा है तो पक्षकार (अर्थात् प्रिंसिपल) द्वारा आदेश को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व इससे संबंधित लिखित घोषणा करनी चाहिए।

2.0 भारत में एजेंट/प्रतिनिधित्व से संबंधित विवरण, यदि कोई हो, का प्रकटीकरण

- 2.1 विदेशी राष्ट्रीयता वाले निविदाकर्ताओं को अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करना चाहिए:
 - 2.1.1 भारत में एजेंट/प्रतिनिधित्व के नाम तथा पते से संबंधित विवरण, यदि कोई हो, तथा प्रिंसिपल की ओर से दिया गया प्राधिकार का विस्तार एवं प्रतिबद्धता का विस्तार। यदि एजेंट/प्रतिनिधि कोई विदेशी कम्पनी है तो इसके संबंध में यह पुष्टि की जानी चाहिए कि क्या यह वास्तविक मूलभूत कम्पनी है अथवा नहीं है तथा इसके संबंध में विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
 - 2.1.2 भारत में ऐसे एजेंटों / प्रतिनिधियों के लिए निवेदित दर (दरों) में शामिल कमीशन / पारिश्रमिक की राशि।
 - 2.1.3 निविदाकर्ता द्वारा यह पुष्टि कि भारत में उसके एजेंट / प्रतिनिधि को कमीशन / पारिश्रमिक का भारतीय रूप में भुगतान बामर लॉरी द्वारा किया जाना है।
- 2.2 भारतीय राष्ट्रीयता वाले निविदाकर्ताओं को अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करना चाहिए:

- 2.2.1 विदेशी प्रिंसिपलों, यदि कोई हों, के नाम तथा पते के उल्लेख के साथ साथ उनकी राष्ट्रीयता एवं अपनी स्थिति का यह विवरण कि क्या निर्माण के लिए निर्माताओं अथवा एजेंटों के पास प्रिंसिपल द्वारा विशेष रूप से जारी ऐसा प्राधिकार पत्र है अथवा नहीं है जिसमें प्रिंसिपल द्वारा उन्हें भारत में निविदा के प्रति सीधे अथवा एजेंट/प्रतिनिधित्व के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करने का विशिष्ट प्राधिकार दिया गया हो।
- 2.2.2 निविदाकर्ता द्वारा निवेदित दरों में अपने लिए शामिल की गई कमीशन / पारिश्रमिक की राशि।
- 2.2.3 निविदाकर्ता के विदेशी प्रिंसिपल द्वारा यह पुष्टि कि निवेदित दर (दरों) में निविदाकर्ता के लिए आरक्षित कमीशन / पारिश्रमिक, यदि कोई हो, का भुगतान भारत में बामर लॉरी द्वारा परियोजना अथवा प्रचालन मदों के मामले में भंडार एवं कलपुर्जों की आपूर्तियों का संतोषजनक निष्पादन होने के पश्चात समतुल्य भारतीय रूपए में कर दिया जाए।
- 2.3 कोई भी मामला हो अनुबंध सामग्रीगत होने की स्थिति में भारत में एजेंटों/प्रतिनिधियों को भारतीय रूपए में दिया जाने वाला कमीशन/पारिश्रमिक, यदि कोई हो, का भुगतान करने से संबंधित उपबंध का निर्वाह अनुबंध से संबंधित दायित्वों को पूरा करने के 90 दिन पश्चात किया जाएगा।
- 2.4 ऊपर पैराग्राफ में अपेक्षित सही एवं विस्तृत जानकारी न दिए जाने के कारण संबंधित निविदा रद्द की जा सकती है अथवा अनुबंध सामग्रीगत होने की स्थिति में बामर लॉरी द्वारा इसे रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा, बामर लॉरी के साथ व्यवसाय व्यवहार प्रतिबंधित करने अथवा क्षति अथवा निर्धारित भुगतान करने की शास्ति भी की जा सकती है।

* * * * *

ऑनलाइन बोली प्रस्तुत किए जाने की शर्तें

1.0 निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

निविदाकर्ता को नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए ई-प्रापण प्लेटफार्म के माध्यम से निविदा प्रस्तुति की अपनी प्रतिक्रिया <https://balmerlawrie.eproc.in> पर प्रस्तुत करनी होगी। इसके लिए निविदाकर्ता को ई-प्रापण मार्केट प्लेस के लिए <https://balmerlawrie.eproc.in> पर पंजीकरण करवाकर अपनी निविदा ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी। निविदा आमंत्रण प्राधिकरण द्वारा कोई भी ऑफलाइन निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। निविदाकर्ता को अपनी अर्हता, योग्यता के दस्तावेज, तकनीकी निविदा, वित्तीय निविदा इत्यादि ई-प्रापण वेबसाइट पर प्रदर्शित निविदा दस्तावेज में दिए गए मानक फॉर्मेट के अनुसार प्रस्तुत करनी होगी। निविदाकर्ता द्वारा अपने अर्हता मापदंडों / तकनीकी निविदा के प्रमाण के लिए अपने सभी संबंधित दस्तावेज इत्यादि की स्कैन की गई प्रतियां, यदि अपेक्षित हो, ई-प्रापण वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी। तथापि, बड़े आकार के दस्तावेज स्कैन करके अपलोड नहीं किए जाने हैं तथा इन्हें निविदा आमंत्रण प्राधिकारी के कार्यालय में निविदा की देय तिथि से पूर्व पहुंचाया जाना है। निविदाकर्ता को अपलोड की जाने वाली विवरणियों, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हुए उनकी शुद्धता / सत्यता का उत्तरदायित्व लेना चाहिए।

2.0 ई-प्रापण प्लेटफार्म के लिए पंजीकरण

पंजीकरण तथा ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने के लिए निविदाकर्ता मैसर्स सी1 इंडिया प्रा.लि. की हैल्प डैस्क से सम्पर्क कर सकते हैं अथवा वे स्वयं <https://balmerlawrie.eproc.in> वेबसाइट पर लॉग इन करके अपना पंजीकरण कर सकते हैं।

3.0 डिजिटल प्रमाणन का सत्यापन

निविदाकर्ता को ई-प्रापण प्लेटफार्म पर निविदा प्रस्तुत करने के लिए डिजिटल प्रमाणपत्र के साथ अपनी निविदा का सत्यापन करना होगा तथा निविदाकर्ता द्वारा डिजिटल प्रमाणन के बिना प्रस्तुत निविदा ई-प्रापण प्लेटफार्म पर स्वीकार नहीं की जाएगी। जिन निविदाकर्ताओं के पास डिजिटल प्रमाणपत्र नहीं है उन्हें डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेना चाहिए। इसके लिए वे सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की हैल्प डैस्क से सम्पर्क कर सकते हैं।

मैसर्स सी1 इंडिया प्रा.लि.

सी104, सेक्टर 2, नोएडा – 201301

सम्पर्क व्यक्ति:

श्री तुहीन घोष, फोन- 08981165071 : e-mail: tuhin.ghosh@c1india.com

श्री तीर्थ दास, ईमेल: tirtha.das@c1india.com ,

सम्पर्क नम्बर: +91- 9163254290

4.0 हार्ड प्रतियों की प्रस्तुति

निविदाकर्ताओं से यह अनुरोध है कि अपनी निविदा ऑनलाइन प्रस्तुत करने से पूर्व उपचार स्तर के उल्लेख सहित तकनीकी साहित्य एवं लागू बयाना जमा राशि कोरियर / ई-मेल के माध्यम से हमें ऑनलाइन निविदा खुलने से पूर्व पहुंचाने की व्यवस्था करें।

5.0 निविदा का शुद्धिपत्र

निविदाकर्ता को निविदा आमंत्रण प्राधिकारी द्वारा ई-प्रापण प्लेटफार्म के माध्यम से समय समय पर जारी किए जाने वाले परिवर्तनों के लिए जोड़े जाने वाले परिशिष्ट / शुद्धिपत्र की ओर ध्यान देना होगा। इसके संबंध में किए जाने वाले किसी प्रकार के दावे/समस्या के प्रति निविदा आमंत्रित करने वाली कम्पनी उत्तरदायी नहीं होगी।

6.0 निविदा प्रस्तुति की पावती

प्रयोक्ता को निविदा प्रस्तुति के संबंध में पूरी प्रक्रिया के लिए अपेक्षित सभी चरण पूरे करने होंगे। सभी प्रक्रियाएं तथा चरण पूरे किए जाने के पश्चात निविदा प्रस्तुति नम्बर के साथ सिस्टम से प्राप्त पावती से निविदा की सफल प्रस्तुति ज्ञात की जा सकती है। प्रयोक्ता द्वारा अपूर्ण निविदा प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में निविदा आमंत्रण प्राधिकारी तथा सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उत्तरदायी नहीं होंगे। प्रयोक्ता कृपया यह भी नोट कर लें कि अपूर्ण निविदा सिस्टम में सुरक्षित नहीं की जाती हैं तथा ये निविदा आमंत्रण प्राधिकारियों को भी संसाधन के लिए उपलब्ध नहीं होती हैं।

स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करने से पूर्व निविदाकर्ताओं को अपलोड किए जा रहे सभी विवरणों, दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों पर उनके सही होने / सत्यापन करने के तौर पर हस्ताक्षर करने चाहिए।

